कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक–सी–3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
नया,रायपुर(छ.ग.)

––––00––––

क्रमांक/ 1709 / 326 /आउशि/समन्वय/2018 नया रायपुर,दिनांक 6/06/2018

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018–19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत।**

संदर्भ :– **अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95/ 2017/ 38–2 नया रायपुर,दिनांक 02.06.2018**

––––00––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018–19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2018–19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2018–19 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ / /आउशि/ समन्वय/2018 नया रायपुर,दिनांक /06/2018

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

बिलासपुर विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-260294, ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

पृ.क्रमांक 724 /अका./2018

बिलासपुर दिनांक 13.06.2018

प्रतिलिपिः-

1/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

2/ प्राचार्य,समस्त संबद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2018-19 जो विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in अपलोड है, मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
-------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नया रायपुर, दिनांक / /2017
02 JUN 2018

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव कमांक 213/आउशि/समन्वय/2017 दिनांक निरंक

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

2-6-18

(नलिनी माथुर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नया रायपुर, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

5. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2018–2019

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। **(स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा)** परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 **पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. **प्रवेश सूची :–**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5. **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :—

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :—

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :—

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :—

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4

के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।''

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :–

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नही होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोडकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग//महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–**

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 **शोध छात्र :–**

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 **विशेष :–**

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

Office of the Commissioner, Higher Education

Block-C-3 Second and Third Floor Indravati Bhawan,

Atal Nagar, Raipur (Chhattisgarh)

No./1702/ 326/CHE/Coordination/2018 Atal Nagar Raipur, dated 06/06/2018

Copy,

1. Registrar,
   All Universities,
   Chhattisgarh
2. Principals,
   All Leading Colleges,
   Chhattisgarh

Subject: - Principles of admission guidelines for the session 2018-19 for educational institutions of Chhattisgarh.

Reference: - Under Secretary Chhattisgarh. Government Higher Education Department's letter number F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur, dated 02.06.2018

The above mentioned article is that Chhattisgarh. Admission guidelines for the session 2018-19 have been issued for the educational institutions of Chhattisgarh state by the referred letter of the Higher Education Department. A copy of the Admission Guide Principles 2018-19 is enclosed.

Please ensure that you strictly follow the provisions given in the Admission Guide Principles 2018-19 by providing a photocopy of the letter to yourself and all the government/non-government colleges under you.

Attached - as above

(Dr. Kiran Gajpal)
Joint Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

No./ / /CHE/Coordination/2018 Atal Nagar Raipur, dated /06/2018

Copy to :-

1. Under Secretary Chhattisgarh. For information regarding the letter referred to the Government, Higher Education Department. For information towards
2. Regional Additional Director, Regional Office, Higher Education Raipur / Bilaspur / Jagdalpur / Ambikapur / Durg.

Joint Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Chhattisgarh Government

Higher Education Department

Guiding Principles for Admission in Undergraduate and Postgraduate Classes of Government/Non-Government Colleges of Chhattisgarh

Session 2018-19

1. **Use :-**

1.1 These guiding principles will be applicable in all the government/non-government colleges of Chhattisgarh, read with the provisions of Ordinance No. 6 and 7 under Chhattisgarh University Act-1973 and all the principals will ensure their compliance.

1.2 Government and non-government colleges will have to strictly follow the rules of admission. “Entry means the first year or first semester of the undergraduate class and the first or first semester of the post-graduate class.

2. **Date of admission :-**

2.1 **Submission of application form for admission:-**

The application form prescribed by the Principal for admission in the college will be submitted by the applicant along with all the certificates to the college by the prescribed date. Information about the last date for submission of application forms for admission to various classes will be posted on the notice board by the Principal of the college at least seven days in advance. In case the marksheet is not provided by the Board/University for admission, applications should be submitted without the marksheet after getting certified by the concerned Principal of the previous institution.

2.2 **Setting the last date for admission:-**

Except in the case of transfer, the Principal will be able to give admission till 15th July himself and with the permission of the Vice Chancellor till 31st July (the date of admission in the first year of graduation will start from 01st June and for other classes from 16th June). Result of the examination will be declared late. In case of late declaration of results , the last date of admission will be valid till 10 days from

the date of receipt of the examination result in the college or till 15 days from the date of declaration of the examination result by the University/Board, whichever is earlier. Mentioned in paragraph 5.1 (a), on transfer of employees, their sons and daughters seeking admission after the last date of admission should be given admission during the session only if the place is vacant, but for this, proof of joining by the employee is required - Admission will be granted only if the letter is submitted and the applicant gets admission in another college before the last date fixed for admission.

Explanation:-

Applicant "A" had taken admission in a class as per rules in a college at some other place (A). After that, his guardian got transferred to place “B”, now he wants to take admission in a college of this place (B), he will be given admission only if there is a vacancy. The applicant“B”did not take admission in college where his father was posted but as soon as his father was transferred,(B) wants to take admission in some college. So now the deadline for admissionApplicant (B) cannot be given admission after the date has passed.

2.3 **Fixing the last date of admission for the students passed in revaluation:-**

Students who have passed the revaluation of other Faculties other than the Faculty of Law will be eligible for admission if they fall in the merit list after the permission of the Vice Chancellor of the concerned University, within 15 days of the declaration of the results of the revaluation. But even if there is eligibility for admission in the classes of Law Faculty on the basis of merit, admission will be given only if there is vacancy in the college. Students who have passed revaluation in class 12th will also be eligible for regular admission if seats become vacant.

3. **Determination of admission number :-**

3.1Based on the resources available in the colleges and seating arrangements in the classrooms, equipment available in the laboratory/usable materials and availability of staff etc., students will be given admission for different classes as per the student number (seats) given earlier. If Principal want to increase the number of seats for admission in College, then he should send its proposal to the Directorate of Higher Education by 30th April and “admission will be done as per the increased seats only after getting permission from the Directorate of Higher Education/Higher Education Department."

3.2 According to the criteria set by the Bar Council, only a maximum of 80 students should be given admission per section (maximum 4 sections) in the first, second and third year classes of Law Graduation on the basis of merit.The subject/subject group of teaching has been determined for each class by the affiliated university/autonomous college. Principals will give admission to the applicants in each class as per the prescribed admission number in the same prescribed subject group in their colleges.

4. **Admission List:-**

4.1 While giving information about the last date fixed for depositing the admission fee, the principal will put up on the notice board the list of marks obtained in the qualifying examination of the students selected for admission and the total marks obtained by paying surcharge where surcharge is payable, along with the percentage marks.

4.2 Permission to deposit the admission fee will be given only after the copies of the necessary attached certificates are certified by the admission committee by matching them with the original certificates and the original copy of the transfer certificate is submitted. Immediately after granting admission, the transfer certificate should be canceled by stamping "Admission granted".

4.3 Admission in the college will be valid only after depositing the prescribed fee. After admission, the original copy of the transfer certificate should be compulsorily canceled by putting a seal of cancellation on it.

4.4 If there is vacancy in the declared admission list after the last date of submission of fee, late fee of Rs 100/- will be charged extra for non-official item for admission in all the classes as per rules, however, in such cases, admission will not be allowed after 31st July.

4.5 Admission should not be granted on the basis of duplicate transfer certificate. In case of loss of transfer certificate, an FIR should be lodged by the student in the nearest police station. Admission can be granted only on receipt of the police station report and the authorized report from the previous admission institution which mentions the serial number and date of the original transfer certificate. For this, an undertaking should be taken from the student.

4.6 Along with issuing the transfer certificate, the Principal of the college will issue a confidential report regarding whether the concerned student is involved in ragging/indiscipline/sabotage etc. Such confidential report will be sealed in a sealed

envelope and sent to the Principal of the college where the student has applied for admission.

4.7 According to the order number 2653/2014/38-1 dated 10.09.2014 of the Government of Chhattisgarh, Higher Education Department, "The state government, hereby, provides exemption from tuition fees to the graduate level girl students studying in government colleges from the academic night 2014-15" should be followed.

5 **Eligibility for admission:-**

5.1 **Resident and Qualifying Examination:-**

(a) Original/permanent resident of Chhattisgarh, holder of permanent property in Chhattisgarh, State or Centre.Government employees, semi-government employees and employees of private limited companies, employees of nationalized banks and commercial organizations run by the Government of India whose posting is in Chhattisgarh. Only their sons/daughters and the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents will be given admission in government colleges. Even after giving admission as above, if there is vacancy in the seats, applicants who have passed the recognized board and qualifying examination of other states can be given admission on the basis of merit as per rules.

(b) From an affiliated university or from schools recognized by the affiliated university, only those applicants who pass the qualifying examination will be eligible for admission in the college.

(c) The applicant should be granted admission only after obtaining the eligibility certificate from the concerned university as per requirement.

5.2**Graduation level, regular admission:-**

(a) Applicants who have passed 10+2 examination are not eligible for regular admission in the first year of graduation. But applicants from Commerce and Arts faculty will not be given admission in Science faculty. A student who has passed B.Sc. (Home Science) first year from any faculty will be eligible for admission.

(b) Applicants who have passed the first and second year examination at the graduation level will be eligible for regular admission in the second/third year of the same subjects respectively. There will be no eligibility for change of subject at the second graduation level.

5.3 **Post Graduate Level Regular Admission:-**

(a) B. Com./B.Sc.(Home Science)/B.A. Applicants who have passed graduation examination can get M.Com/M.Sc. respectively. Applicants who have passed B.Sc. (Home Science)/M.A. Previous /1st Sem and qualifying subjects are eligible for regular admission in M.Sc. /M.A.Previous.

(b) Applicants who have passed postgraduate first year/first semester will be eligible for regular admission in postgraduate second year of the same subject. Under the semester system, applicants who pass the pre-qualifying examination will be eligible for regular admission in the next semester.

(c) ATKT for postgraduate classes. (Allowed To Keep firms) Rules :-

1. It is mandatory for applicants who are eligible for provisional admission in the first semester of postgraduate to take provisional admission before the last date fixed for admission.

2 ATKT in Post Graduate Third Semester as per the (Allowed To Keep Terms) rules, eligible applicants will be eligible for provisional admission in the next semester.

5.4 **Law Faculty Regular Admission :-**

(a) Applicants who have passed the graduation examination will be eligible for regular admission in the first year of Bachelor of Laws.

(b) Applicants who have passed the Bachelor of Law examination will be eligible forRegular admission in first year L.L.M.

(c) L.L.B. First Semester and L.L.M. Applicants who have passed the first semester examination are eligible for L.L.B. Second Semester and L.L.M. Will be eligible for admission in second semester. Similarly, the same process of admission will be applicable in third, fourth and fifth semester also.

5.5 **Minimum marks limit in the qualifying examination for admission:-**

(a) The minimum marks limit for admission in the first year of Bachelor of Laws will be 45% (40% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste). And applicants who have obtained 55% marks (50% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste/OBC) in the first half of Post Graduation in Law will be eligible for regular admission.

5.6 The provisions of the concerned institution will be effective on admission/operation in the courses approved by AICTE NOTE BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA.

6. **Equivalent Examination-**

6.1 10+2 examinations of Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council for Secondary Education (ICSE) and schools/intermediate boards of other states are equivalent to 10+2Board of Secondary Education examination. Principals can obtain the list of recognized boards from the affiliated universities.

6.2 All theexaminations ofUniversities located generally in India which are members of the Association of Universities are considered equivalent to the examinations of the University of Chhattisgarh. The examinations of such universities (except IGNOU) which conduct distance courses but do not have permission from the state government are not valid. As per the instructions of the University Grants Commission, New Delhi, any university or educational institution outside the state of Chhattisgarh is not allowed to open study centers/off campuses etc. in the state of Chhattisgarh and give admission/grant degrees to the students and degrees/diplomas from such institutions are not recognized as statutory, will not be formally valid.

6.3 The Principal should obtain from the Principal of the affiliated University the list of educational institutions of the University recognized by the affiliated University and the information about fake or unrecognized universities or educational institutions whose degrees are not valid, issued by the University Grants Commission from time to time.

6.4 Applicants passed under NVEQF (National Vocational Educational Qualification Framework) started in 2012 should be given equal priority compared to other general subjects for admission to undergraduate level courses in universities and colleges.

University commission grant semi-official ofLetterNo1-52/2013 (CC/NSQF) April, 2014 –

"As you are aware, the National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) has been amended by the Ministry of Human Resource Development in the National Skill Qualification Framework (NSQF) notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has incorporated all the important features formulated in NSQF. As notified in NSQF, it offers certificates from Level 1 to 10,

including Level 5 to Level 10 certificates from higher education and certificates from Level 1 to Level 4 relate to the field of school education. Pursuant to the NVEQF, which was launched in 2012, courses were offered to students by some school boards and under the NVEQF, students were awarded equivalent certificates. These students, under NSQAFlevel 4 will be able to complete 10+2 education with certified marks by the year 2014. The Ministry of Human Resource Development, Government of India has expressed apprehension that students who wish to take admission in any undergraduate course in universities and colleges and who had vocational subjects at 12 level will be at a disadvantage. Therefore, I request you that when students are trying to get admission in any other undergraduate courses in the university and college, then such subjects should be given equal priority compared to other general subjects, so that these students shall be provided opportunities for horizontal mobility."

7. **Admission of external applicants :-**

7.1 With the implementation of integrated curriculum in Graduate students B.A./B.Com./B.Sc./B.H.Sc. in Chhattisgarh, applicants who have passed the first/second year examination from any university/autonomous college of Chhattisgarh are eligible for admission in the second/third year respectively, but the applicants who have studied in the subjects/groups of subjects being taught in the affiliated university/autonomous college. Regular admission should be given only after checking whether the candidate has appeared in the previous examination. If necessary, eligibility certificate must be obtained from the university.

7.2 Applicants who have passed 1st/2nd graduation level examination from universities/autonomous colleges located outside Chhattisgarh, pre-post graduation examination from other universities/autonomous colleges or 1st, 2nd, 3rd semester examination and 1st/2nd year graduation level examination of law affiliated to them. Regular admission should be given in the next class of the same subjects/subject group only after submitting the eligibility certificate from the universities.

Students from outside the state will have to give an affidavit in the prescribed format. If any kind of false/incorrect information is found, the admission of the concerned student will be canceled and he will be denied admission in any university of the state. It is mandatory to get the documents submitted by applicants from other states certified by the concerned Board/University.

7.3 Self-study applicants in science and other practical subjects and former students of the college may be allowed by the Principal to do only practical work by charging the prescribed fee till 30th November, if there is a vacancy.

8**. It will be mandatory for the students who are eligible for temporary admission to take temporary admission before the last date fixed for admission: -**

8.1 Regular applicants who have appeared in supplementary examination (compartment) in 10+2 and first/second year examination of graduation will be eligible for provisional admission in case of vacancy in the next class.

8.2 In the Post Graduatesemester, supplementary/ATKT applicants shall be eligible for provisional admission.

8.3 Applicants who have not completed the prescribed aggregate of 48 percent in the first and second year of law graduation or have obtained Supplymentary will be eligible for provisional admission in the next class.

8.4 Applicants of Section 1 and 2 of Para 7 above will not be eligible for temporary admission.

8.5 If they fail in the supplementary examination, the temporary admission of the students who have received temporary admission will be cancelled. If passed, temporary admission will be recognized as regular admission.

(d) For admission in Sanskrit Mahavidyalaya, applicants above 25 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first semester of pre-graduation will be eligible for admission.

(e) There will be a relaxation of 3 years in the age limit for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Backward and/Women applicants except Law Faculty. There will be a relaxation of 5 years in the age limit for disabled candidates.

9 Qualifications for Admission:-

9.1 In case of getting admission in any faculty of any college/university teaching department, students will not be eligible for regular admission again in the same class of the same faculty in the next year. If any student has not taken regular admission in the class applied for in the previous session, then such applicant will not be considered ineligible for regular admission, he will only have to produce the

original transfer certificate and an affidavit certifying that he has not taken admission earlier. Admission will be given on that basis only as per rules.

9.2 Students against whom challan has been presented in the court or criminal cases are pending in the court with students/officers/employees in examination or in pre-session, the Principal is authorized to deny admission to students who have serious allegations of misbehavior/ assault and who have not shown improvement even after warning.

9.3 The Principal is authorized to cancel/deny admission to students accused of vandalizing the college and destroying college property. The Principal should constitute a committee for this and get the investigation done and the admission should be canceled on the basis of an investigation report. Such students should not be given admission in any government /non- government college of Chhattisgarh state

9.4 **Age limit for admission-**

(a) Applicants above 22 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first year of post graduation will not be eligible for admission. Age will be calculated as of July of the applied year. The maximum age limit for admission in Diploma and Post graduate Diploma will be 27 years. The age limit for B.P.Ed and M.P.Ed will be 25 and 28 years.

(b)Restriction of age limit will not be applicable for candidates sponsored and recommended by state government /ministry/office of the government of India and the institution controlled by them, students sent for studying abroad by Indian government or any foreign government and students studying in payment seat in foreign currency.

(c) The provision of maximum age limit for admission in law stream is abolished.

(d) For admission in Sanskrit Mahavidyalaya, applicants above 25 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first semester of pre-graduation will be eligible for admission.

(e) There will be a relaxation of 3 years in the age limit for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Backward and/Women applicants except Law Faculty. There will be a relaxation of 5 years in the age limit for disabled candidates.

9.5 A full-time government/non-government employee will not be eligible for regular admission in the college during his/her daily working hours. If the applicant applies for admission in a college after the daily duty period, admission will be given only after the applicant presents no-objection certificates from the employer.

9.6 Students who have completed graduation degree in any faculty will not be eligible for regular admission in the courses of any other faculty.

10.**Determination of order for admission:-**

10.1 If there are more applicants than the available places, admission will be done in the following order.

(a) Marks and percentage of qualifying examination for admission to undergraduate and postgraduate classes.If payable, then on the basis of total percentage marks obtained by adding surcharge and

(b) There should be a provision for entrance examination in the affiliated university in the first year of law graduationas per the criteria set by the University.

10.2 Separate merit lists will be prepared for unreserved and reserved categories.

11. **Priority for admission :-**

11.1 Basis of preference in first year Undergraduate/Postgraduate/Law classes, qualifying examination Passed regular/ex-regular candidates/self-study candidates will be placed according to the number of passed students.

11.2 The basis of priority in the next graduation/post graduation classes will be in the order of regular/self-study students of the previous session passed in the qualifying examination/ex-regular passed/supplement received in one subject.

11.3 Admission in the law stream for the next classes shall be first for the students who have passed the examination but students obtaining 48 aggregate shall be given preference, otherwise the order would be the same. If there is no facility for study, they will be given admission on order basis. If seats remain vacant and they come in sequence, students from the entire state will be eligible for admission in the entire state.

11.5 But the above provision will not be applicable for autonomous colleges, a student who has passed the postgraduate examination of one subject can be given

admission in the postgraduate class of another subject only if there is a vacancy in the college.

12. **Reservation will be as per the reservation policy of Chhattisgarh Government as given below:-**

12.1Reservation of seats in admission in each academic session and its extension in any educational institution will be in the following manner, namely:

(a) Thirty-two percent of the annual permitted strength in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Tribes.

(b) Twelve percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Castes.

(c) Fourteen percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Other Backward Classes.

Provided that, where the seats reserved for Scheduled Tribes remain vacant on the closing date(s) due to non-availability of eligible students, the same shall be filled from among the eligible students from the Scheduled Castes and vice versa.

Provided further that notwithstanding the provisions specified in the foregoing proviso, if the seats reserved under clause(a), (b) and (c) remain vacant on the closing dates, they will be filled from other eligible students.

12.2

(1) Reservation of seats available under clauses (a), (b) and (c) of point A. 12.1 will be determined vertically.

(2) The percentage of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women, ex-servicemen/ex-servicemen, children of freedom fighters or other special categories of persons shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time for the purposes of this Act be notified and this point is mentioned in clause (a) of 12.1. (b) and (c), as the case may be, shall be within the vertical reservation.

12.3 3 percent seats will be reserved for the sons and daughters of freedom fighters. 5 percent seats will be reserved for disabled category applicants.

12.4 Out of the available seats in all classes, 30 percent will be reserved for girl students.

12.5 If a candidate of reserved category is kept in the merit list as per rules in unreserved category open competition due to getting more marks, then the seats of reserved category will remain unaffected, but if such student belongs to any cadre like freedom fighter etc.If the seat in the cadre is also in that category, then this seat will be considered filled in that reserved category, the seats of the remaining cadre will be considered filled.

12.6 If the percentage of reserved space is less than 1/2 then the reserved space will not be available. If it falls between 1/2 per cent and 1 per cent then the number of reserved space will be one.

12.7 Jammu and Kashmir displaced people and their dependents should be given admission by increasing the seats by 5 percent and 10 percent relaxation will be given in the minimum marks.

12.8 Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.

12.9 The provisions of reservation shown in paragraph 12.1 will be subject to the decision of the Honorable High Court Bilaspur.

12:10 This instruction has been given in paragraph 129 (3) of the decision dated 15.04.2014 passed by the Honorable Supreme Court in this regard to the transgender people in the case number: WP (C) 400/2012 National Legal Services Authority vs. Government of India and others. Provided that "We direct the Center and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," should be strictly followed.

13Weightage :-

Weightage will be given only for determining the ranking, it will not be used for attaining eligibility.Weightagewill be given only on the percentage of marks obtained in the qualifying examination. It is mandatory to attach all the certificates for weightage with the admission application form. The certificates brought/submitted later after the application form will not be considered for

weightage, if more than one weightageis received, only the highest weightage will be given.

13.1 NCC/NSS/Scouts

The word Scouts should be read in the meaning of Scouts/Guides/Rangers/Rovers.

(a) NSS/NCC. "A" Certificate	02 percent
(b) Scouts who have passed NSS/NCC “B” Certificate and Second Step.	03 percent
(c) Scouts passing “C” Certificate or Third Step.	04 percent
(d) Students representing the group in the state	04 percent
(e) NCC under level directorate. Competition	05percent
(f) NCC/NSS of Chhattisgarh in the Republic Day Parade in New Delhi. To the student participating in cutting edge	05percent
(g) Governor Scouts	10percent
(h) President Scouts	10percent
(i) Best NCC Candidate of Chhattisgarh	10percent
(j) Cadets selected for NCC/NSS and migrating cadets participating in Youth Exchange Program between India and other countries. Students who have been selected for the International Jamboree.	15 percent

13.2Students who have passed honours curriculum subject course,Post Graduateon taking admission in the post graduate classes in the same subject. 10 percent

13.3 Sports/Literary/Cultural/Divas/Design Competitions -

(1) In district divisional level competitions organized by Directorate of Public Instruction or Chhattisgarh Higher Education Department or inter divisional/level competition organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan.03 percent

(a) Every member of the committee who got first, second or third place02 percent

(b) To the person securing the above position in the individual competition04 percent

(2) In the inter-regional national competition organized by the State level or Kendriya Vidyalaya Sangathan organized by the Department/Directorate mentioned in the above paragraph 13.3 (1) or by the Association of Indian Universities (AIU). In the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India or in the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India.

(a) Every member of the team who got first, second and third place 06 percent

(b) To the person who got the above position in the individual competition07 percent

(c) The contestant representing the division/area 05 percent

(3) In national competitions organized by the Association of Indian Universities, organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India -

(a) To those who get first, second, third place in individual competition15 percent

(b) To the members of the team securing first, second or third place 12 percent

(c) to the contestant representing the area 10 percent

13.4 To the members of the selected and visiting group in the field of artScience/Cultural/Literary/under Youth or Science and Cultural Exchange Program between India and other nations 10 percent

13.5 Chhattisgarh Government M.P. In national competitions organized by recognized sports associations: -

(a) To the members representing the team of Chhattisgarh/M.P. 10 percent

(b) To the members who obtained first, second and third place in Chhattisgarh's team 12 percent

13.6 To the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents01 percent

13.7 Special Incentive:-

To promote NCC/sports in the interest of Chhattisgarh state and college, the best cadets of NCC at national level will participate in Olympiad/Asiad/sports competitions organized by Sports Authority of India at national and international level. Child students should be given direct admission in the classes for which they are eligible in the upcoming academic session without any ranking.

(1) Such certificates will be sent to Questionnaire, Sports and Youth Welfare, Government of Chhattisgarh.

(2) This facility will be available only to those candidates who have submitted their representation to the college within the prescribed time period. But to receive this type of facility second time, they will need to retrieve the achievement.

13.8 For admission in the first year, certificates of up to the last four academic sessions at school level will be considered for weightage. For admission in the first year of postgraduate or law, certificates of up to the last three academic sessions will be considered for weightage. Certificates of previous session will be valid for weightage for admission in second, third year of graduation and second year of post-graduation.

14Faculty / Subject / Group Change :-

In the first year of graduation/postgraduation, the rank of order for the students who take admission by changing the faculty/subject/group of the qualifying examination will be determined by deducting 5 percent from their marks, weightage will be given on the reduced marks. After taking admission once in the first year of graduation/postgraduation in the college, change of faculty/subject/group during the current session is permitted by the college campus till 30th September or in case of delay in main examination result, from the last date of admission mentioned in clause 2.2. It will be given for 15 days only. This permission will be given only to those students whose marks are equal to or more than the students who got admission in the original merit list of the concerned subject/faculty.

15. Research student:-

Research students of PhD in government colleges will be given admission for two years. In case the library/practical work remains incomplete, the principal will be able to extend this time period to a maximum of 4 years on the recommendation of the supervisor. Students will apply in the prescribed application form.Regular admission will be granted only after depositing the prescribed fee after admission. For research students, the recognized professor supervisor posted in the college for PhD direction by the concerned university will carry out his/her work only as per the rules laid down by the university. If a teacher is working as a research student after taking study leave, then the approval will be given by the competent authority.The salary of the teacher will be drawn by the salary drawing officer only after receiving the attendance certificate and work progression report for three months.

In case of transfer of the professor supervisor posted in the college, the research students can continue their research work in the institution from where their research applications was forwarded. After the completion of the research work, the management of the research work will be done and forwarded by the principals of the colleges.

16. Note : -

16.1 Fake certificate: If an applicant has got admission due to wrong information, deliberately hidden adverse facts, administrative or official carelessness, then the full responsibility for cancellation of such admission will be on the applicant.

16.2 The Principal will have the right to cancel the admission of a student who remains absent continuously for one month or more without any proper reason, prior permission or information after taking admission.

16.3 After admission, during the session, the Principal will have the right to cancel the admission or expel the student involved in the cases of indiscipline mentioned in paragraphs 9.2 and 9.3.

16.4 In case the student leaves the college during the session after admission or his admission is canceled or expelled, no fee other than the reserved fund will be refunded to the student.

16.5 If there is a need for clarification of the guiding principles of admission or guidance in any matter related to admission, the Principal will compulsorily give clear comments and opinions in the matter and obtain clarification/guidance from the Commissioner of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. No matter should not be sent only by writing forward.

16.6 The authority to interpret the provisions mentioned in these guiding principles rests with the Commissioner, Higher Education Department. Chhattisgarh Government. Higher Education Department, Ministry will have the full right to change/amend/repeal/add these guiding principles from time to time.

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक–सी–3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
अटल नगर,रायपुर (छ.ग.)

——00——

क्रमांक/2470/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24 /05/2019

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत।**

संदर्भ :– **अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95/ 2017/ 38–2 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24.05.2019**

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2471/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर
जिला–रायपुर

-------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(अविन्द्र मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2019–20

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश का आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। **(स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा)** परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है. अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 **पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :-**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम-के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. **प्रवेश सूची :-**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5 **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 समकक्ष परीक्षा :–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को

के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए पूरे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना-अनिवार्य होगा :–**

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को ...

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पू
प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्व निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य कि जायेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्रा छात्र/छात्राओं, को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐस आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नही माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-प तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नही होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातक पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा व /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्ना पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधि देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओ में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्ती नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्या विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त कर वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवा स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थि महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदक के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अप नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों क प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित य आसपास के अन्य जिलो के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 **आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–**

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों मे से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित्त रहेगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी. शेष संवर्ग की सीट भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा. अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा. एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत

(ई) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताए :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अ जिला/संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजि अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्री राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजि प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्री प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की — 1[illegible] प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :–

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित [illegible]

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेत आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थि में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शो आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उ महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 **विशेष :-**

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथव कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

Office of the Commissioner, Higher Education

Block-C-3 Second and Third Floor Indravati Bhawan,

Atal Nagar, Raipur (Chhattisgarh)

No./2470/ 887/CHE/Coordination/2019 Atal Nagar Raipur, dated 24/05/2019

Copy,

1. Registrar,
   All Universities,
   Chhattisgarh
2. Principals,
   All Leading Colleges,
   Chhattisgarh

Subject: - Principles of admission guidelines for the session 2019-20 for educational institutions of Chhattisgarh.

Reference: - Under Secretary Chhattisgarh. Government Higher Education Department's letter number F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur, dated 24.05.2019

The above mentioned article is that Chhattisgarh. Admission guidelines for the session 2019-20 have been issued for the educational institutions of Chhattisgarh state by the referred letter of the Higher Education Department. A copy of the Admission Guide Principles 2019-20 is enclosed.

Please ensure that you strictly follow the provisions given in the Admission Guide Principles 2019-20 by providing a photocopy of the letter to yourself and all the government/non-government colleges under you.

Attached - as above

(Dr. Kiran Gajpal)
Joint Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

No./2470/ 887/CHE/Coordination/2019 Atal Nagar Raipur, dated 24/05/2019

Copy to :-

1. Under Secretary Chhattisgarh. For information regarding the letter referred to the Government, Higher Education Department. For information towards
2. Regional Additional Director, Regional Office, Higher Education Raipur / Bilaspur / Jagdalpur / Ambikapur / Durg.

Joint Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Chhattisgarh Government
Higher Education Department
Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar
District-Raipur

S.No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar, Raipur Dated 24-05-2019

To,

The Commissioner,
Directorate of Higher Education,
Indravati Bhawan,
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.

Subject :- Regarding preparing the admission guidelines for the educational institutions of Chhattisgarh for the session 2019-20.

Reference :- Your memorandum number 1077 dated 6.05. 2019

Please see the proposal referred under the subject.

A copy of the approved admission guidelines for the academic session 2019-20 of the educational institutions run under the Higher Education Department of the state is sent here.

Please provide a copy of the guide to all concerned institutions and direct them to strictly follow the provisions given in the guide.

Attachment :- As above.

(Ravindra Kumar Medhekar)
Under Secretary
Chhattisgarh Government,
Higher Education Department

No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur

Copy to

1. Special Assistant, Honorable Minister, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.
2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Higher Education Department, Ministry, Naya Raipur Atal Nagar, Raipur and forwarded for information.
3. Special Duty Officer, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, NavaRaipur Atal Nagar, Raipur.
4. Guard File.

Under Secretary
ChhattisgarhGovernment,
HigherEducationDepartment

Chhattisgarh Government

Higher Education Department

Guiding Principles for Admission in Undergraduate and Postgraduate Classes of Government/Non-Government Colleges of Chhattisgarh

Session 2019-20

1. **Use :-**

1.1 These guiding principles will be applicable in all the government/non-government colleges of Chhattisgarh, read with the provisions of Ordinance No. 6 and 7 under Chhattisgarh University Act-1973 and all the principals will ensure their compliance.

1.2 Government and non-government colleges will have to strictly follow the rules of admission. “Entry means the first year or first semester of the undergraduate class and the first or first semester of the post-graduate class.

2. **Date of admission :-**

2.1 **Submission of application form for admission:-**

The application form prescribed by the Principal for admission in the college will be submitted by the applicant along with all the certificates to the college by the prescribed date. Information about the last date for submission of application forms for admission to various classes will be posted on the notice board by the Principal of the college at least seven days in advance. In case the marksheet is not provided by the Board/University for admission, applications should be submitted without the marksheet after getting certified by the concerned Principal of the previous institution.

2.2 **Setting the last date for admission:-**

Except in the case of transfer, the Principal will be able to give admission till 15th July himself and with the permission of the Vice Chancellor till 31st July (the date of admission in the first year of graduation will start from 01st June and for other classes from 16th June). Result of the examination will be declared late. In case of late declaration of results , the last date of admission will be valid till 10 days from

the date of receipt of the examination result in the college or till 15 days from the date of declaration of the examination result by the University/Board, whichever is earlier. Mentioned in paragraph 5.1 (a), on transfer of employees, their sons and daughters seeking admission after the last date of admission should be given admission during the session only if the place is vacant, but for this, proof of joining by the employee is required - Admission will be granted only if the letter is submitted and the applicant gets admission in another college before the last date fixed for admission.

Explanation:-

Applicant "A" had taken admission in a class as per rules in a college at some other place (A). After that, his guardian got transferred to place “B”, now he wants to take admission in a college of this place (B), he will be given admission only if there is a vacancy. The applicant“B”did not take admission in college where his father was posted but as soon as his father was transferred,(B) wants to take admission in some college. So now the deadline for admissionApplicant (B) cannot be given admission after the date has passed.

2.3 **Fixing the last date of admission for the students passed in revaluation:-**

Students who have passed the revaluation of other Faculties other than the Faculty of Law will be eligible for admission if they fall in the merit list after the permission of the Vice Chancellor of the concerned University, within 15 days of the declaration of the results of the revaluation. But even if there is eligibility for admission in the classes of Law Faculty on the basis of merit, admission will be given only if there is vacancy in the college. Students who have passed revaluation in class 12th will also be eligible for regular admission if seats become vacant.

3. **Determination of admission number :-**

3.1Based on the resources available in the colleges and seating arrangements in the classrooms, equipment available in the laboratory/usable materials and availability of staff etc., students will be given admission for different classes as per the student number (seats) given earlier. If Principal want to increase the number of seats for admission in College, then he should send its proposal to the Directorate of Higher Education by 30th April and “admission will be done as per the increased seats only after getting permission from the Directorate of Higher Education/Higher Education Department."

3.2 According to the criteria set by the Bar Council, only a maximum of 80 students should be given admission per section (maximum 4 sections) in the first, second and third year classes of Law Graduation on the basis of merit.The subject/subject group of teaching has been determined for each class by the affiliated university/autonomous college. Principals will give admission to the applicants in each class as per the prescribed admission number in the same prescribed subject group in their colleges.

4. **Admission List:-**

4.1 While giving information about the last date fixed for depositing the admission fee, the principal will put up on the notice board the list of marks obtained in the qualifying examination of the students selected for admission and the total marks obtained by paying surcharge where surcharge is payable, along with the percentage marks.

4.2 Permission to deposit the admission fee will be given only after the copies of the necessary attached certificates are certified by the admission committee by matching them with the original certificates and the original copy of the transfer certificate is submitted. Immediately after granting admission, the transfer certificate should be canceled by stamping “Admission granted”.

4.3 Admission in the college will be valid only after depositing the prescribed fee. After admission, the original copy of the transfer certificate should be compulsorily canceled by putting a seal of cancellation on it.

4.4 If there is vacancy in the declared admission list after the last date of submission of fee, late fee of Rs 100/- will be charged extra for non-official item for admission in all the classes as per rules, however, in such cases, admission will not be allowed after 31st July.

4.5 Admission should not be granted on the basis of duplicate transfer certificate. In case of loss of transfer certificate, an FIR should be lodged by the student in the nearest police station. Admission can be granted only on receipt of the police station report and the authorized report from the previous admission institution which mentions the serial number and date of the original transfer certificate. For this, an undertaking should be taken from the student.

4.6 Along with issuing the transfer certificate, the Principal of the college will issue a confidential report regarding whether the concerned student is involved in ragging/indiscipline/sabotage etc. Such confidential report will be sealed in a sealed

envelope and sent to the Principal of the college where the student has applied for admission.

4.7 According to the order number 2653/2014/38-1 dated 10.09.2014 of the Government of Chhattisgarh, Higher Education Department, "The state government, hereby, provides exemption from tuition fees to the graduate level girl students studying in government colleges from the academic night 2014-15" should be followed.

5 **Eligibility for admission:-**

5.1 **Resident and Qualifying Examination:-**

(a) Original/permanent resident of Chhattisgarh, holder of permanent property in Chhattisgarh, State or Centre.Government employees, semi-government employees and employees of private limited companies, employees of nationalized banks and commercial organizations run by the Government of India whose posting is in Chhattisgarh. Only their sons/daughters and the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents will be given admission in government colleges. Even after giving admission as above, if there is vacancy in the seats, applicants who have passed the recognized board and qualifying examination of other states can be given admission on the basis of merit as per rules.

(b) From an affiliated university or from schools recognized by the affiliated university, only those applicants who pass the qualifying examination will be eligible for admission in the college.

(c) The applicant should be granted admission only after obtaining the eligibility certificate from the concerned university as per requirement.

5.2**Graduation level, regular admission:-**

(a) Applicants who have passed 10+2 examination are not eligible for regular admission in the first year of graduation. But applicants from Commerce and Arts faculty will not be given admission in Science faculty. A student who has passed B.Sc. (Home Science) first year from any faculty will be eligible for admission.

(b) Applicants who have passed the first and second year examination at the graduation level will be eligible for regular admission in the second/third year of the same subjects respectively. There will be no eligibility for change of subject at the second graduation level.

5.3 **Post Graduate Level Regular Admission:-**

(a) B. Com./B.Sc.(Home Science)/B.A. Applicants who have passed graduation examination can get M.Com/M.Sc. respectively. Applicants who have passed B.Sc. (Home Science)/M.A. Previous /1st Sem and qualifying subjects are eligible for regular admission in M.Sc. /M.A.Previous.

(b) Applicants who have passed postgraduate first year/first semester will be eligible for regular admission in postgraduate second year of the same subject. Under the semester system, applicants who pass the pre-qualifying examination will be eligible for regular admission in the next semester.

(c) ATKT for postgraduate classes. (Allowed To Keep firms) Rules :-

1. It is mandatory for applicants who are eligible for provisional admission in the first semester of postgraduate to take provisional admission before the last date fixed for admission.

2 ATKT in Post Graduate Third Semester as per the (Allowed To Keep Terms) rules, eligible applicants will be eligible for provisional admission in the next semester.

5.4 **Law Faculty Regular Admission :-**

(a) Applicants who have passed the graduation examination will be eligible for regular admission in the first year of Bachelor of Laws.

(b) Applicants who have passed the Bachelor of Law examination will be eligible forRegular admission in first year L.L.M.

(c) L.L.B. First Semester and L.L.M. Applicants who have passed the first semester examination are eligible for L.L.B. Second Semester and L.L.M. Will be eligible for admission in second semester. Similarly, the same process of admission will be applicable in third, fourth and fifth semester also.

5.5 **Minimum marks limit in the qualifying examination for admission:-**

(a) The minimum marks limit for admission in the first year of Bachelor of Laws will be 45% (40% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste). And applicants who have obtained 55% marks (50% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste/OBC) in the first half of Post Graduation in Law will be eligible for regular admission.

5.6 The provisions of the concerned institution will be effective on admission/operation in the courses approved by AICTE NOTE BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA.

6. **Equivalent Examination-**

6.1 10+2 examinations of Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council for Secondary Education (ICSE) and schools/intermediate boards of other states are equivalent to 10+2Board of Secondary Education examination. Principals can obtain the list of recognized boards from the affiliated universities.

6.2 All theexaminations ofUniversities located generally in India which are members of the Association of Universities are considered equivalent to the examinations of the University of Chhattisgarh. The examinations of such universities (except IGNOU) which conduct distance courses but do not have permission from the state government are not valid. As per the instructions of the University Grants Commission, New Delhi, any university or educational institution outside the state of Chhattisgarh is not allowed to open study centers/off campuses etc. in the state of Chhattisgarh and give admission/grant degrees to the students and degrees/diplomas from such institutions are not recognized as statutory, will not be formally valid.

6.3 The Principal should obtain from the Principal of the affiliated University the list of educational institutions of the University recognized by the affiliated University and the information about fake or unrecognized universities or educational institutions whose degrees are not valid, issued by the University Grants Commission from time to time.

6.4 Applicants passed under NVEQF (National Vocational Educational Qualification Framework) started in 2012 should be given equal priority compared to other general subjects for admission to undergraduate level courses in universities and colleges.

University commission grant semi-official ofLetterNo1-52/2013 (CC/NSQF) April, 2014 –

"As you are aware, the National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) has been amended by the Ministry of Human Resource Development in the National Skill Qualification Framework (NSQF) notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has incorporated all the important features formulated in NSQF. As notified in NSQF, it offers certificates from Level 1 to 10,

including Level 5 to Level 10 certificates from higher education and certificates from Level 1 to Level 4 relate to the field of school education. Pursuant to the NVEQF, which was launched in 2012, courses were offered to students by some school boards and under the NVEQF, students were awarded equivalent certificates. These students, under NSQAFlevel 4 will be able to complete 10+2 education with certified marks by the year 2014. The Ministry of Human Resource Development, Government of India has expressed apprehension that students who wish to take admission in any undergraduate course in universities and colleges and who had vocational subjects at 12 level will be at a disadvantage. Therefore, I request you that when students are trying to get admission in any other undergraduate courses in the university and college, then such subjects should be given equal priority compared to other general subjects, so that these students shall be provided opportunities for horizontal mobility."

7. **Admission of external applicants :-**

7.1 With the implementation of integrated curriculum in Graduate students B.A./B.Com./B.Sc./B.H.Sc. in Chhattisgarh, applicants who have passed the first/second year examination from any university/autonomous college of Chhattisgarh are eligible for admission in the second/third year respectively, but the applicants who have studied in the subjects/groups of subjects being taught in the affiliated university/autonomous college. Regular admission should be given only after checking whether the candidate has appeared in the previous examination. If necessary, eligibility certificate must be obtained from the university.

7.2 Applicants who have passed 1st/2nd graduation level examination from universities/autonomous colleges located outside Chhattisgarh, pre-post graduation examination from other universities/autonomous colleges or 1st, 2nd, 3rd semester examination and 1st/2nd year graduation level examination of law affiliated to them. Regular admission should be given in the next class of the same subjects/subject group only after submitting the eligibility certificate from the universities.

Students from outside the state will have to give an affidavit in the prescribed format. If any kind of false/incorrect information is found, the admission of the concerned student will be canceled and he will be denied admission in any university of the state. It is mandatory to get the documents submitted by applicants from other states certified by the concerned Board/University.

7.3 Self-study applicants in science and other practical subjects and former students of the college may be allowed by the Principal to do only practical work by charging the prescribed fee till 30th November, if there is a vacancy.

8**. It will be mandatory for the students who are eligible for temporary admission to take temporary admission before the last date fixed for admission: -**

8.1 Regular applicants who have appeared in supplementary examination (compartment) in 10+2 and first/second year examination of graduation will be eligible for provisional admission in case of vacancy in the next class.

8.2 In the Post Graduatesemester, supplementary/ATKT applicants shall be eligible for provisional admission.

8.3 Applicants who have not completed the prescribed aggregate of 48 percent in the first and second year of law graduation or have obtained Supplymentary will be eligible for provisional admission in the next class.

8.4 Applicants of Section 1 and 2 of Para 7 above will not be eligible for temporary admission.

8.5 If they fail in the supplementary examination, the temporary admission of the students who have received temporary admission will be cancelled. If passed, temporary admission will be recognized as regular admission.

(d) For admission in Sanskrit Mahavidyalaya, applicants above 25 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first semester of pre-graduation will be eligible for admission.

(e) There will be a relaxation of 3 years in the age limit for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Backward and/Women applicants except Law Faculty. There will be a relaxation of 5 years in the age limit for disabled candidates.

9 Qualifications for Admission:-

9.1 In case of getting admission in any faculty of any college/university teaching department, students will not be eligible for regular admission again in the same class of the same faculty in the next year. If any student has not taken regular admission in the class applied for in the previous session, then such applicant will not be considered ineligible for regular admission, he will only have to produce the

original transfer certificate and an affidavit certifying that he has not taken admission earlier. Admission will be given on that basis only as per rules.

9.2 Students against whom challan has been presented in the court or criminal cases are pending in the court with students/officers/employees in examination or in pre-session, the Principal is authorized to deny admission to students who have serious allegations of misbehavior/ assault and who have not shown improvement even after warning.

9.3 The Principal is authorized to cancel/deny admission to students accused of vandalizing the college and destroying college property. The Principal should constitute a committee for this and get the investigation done and the admission should be canceled on the basis of an investigation report. Such students should not be given admission in any government /non- government college of Chhattisgarh state

9.4 **Age limit for admission-**

(a) Applicants above 22 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first year of post graduation will not be eligible for admission. Age will be calculated as of July of the applied year. The maximum age limit for admission in Diploma and Post graduate Diploma will be 27 years. The age limit for B.P.Ed and M.P.Ed will be 25 and 28 years.

(b)Restriction of age limit will not be applicable for candidates sponsored and recommended by state government /ministry/office of the government of India and the institution controlled by them, students sent for studying abroad by Indian government or any foreign government and students studying in payment seat in foreign currency.

(c) The provision of maximum age limit for admission in law stream is abolished.

(d) For admission in Sanskrit Mahavidyalaya, applicants above 25 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first semester of pre-graduation will be eligible for admission.

(e) There will be a relaxation of 3 years in the age limit for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Backward and/Women applicants except Law Faculty. There will be a relaxation of 5 years in the age limit for disabled candidates.

9.5 A full-time government/non-government employee will not be eligible for regular admission in the college during his/her daily working hours. If the applicant applies for admission in a college after the daily duty period, admission will be given only after the applicant presents no-objection certificates from the employer.

9.6 Students who have completed graduation degree in any faculty will not be eligible for regular admission in the courses of any other faculty.

10.**Determination of order for admission:-**

10.1 If there are more applicants than the available places, admission will be done in the following order.

(a) Marks and percentage of qualifying examination for admission to undergraduate and postgraduate classes.If payable, then on the basis of total percentage marks obtained by adding surcharge and

(b) There should be a provision for entrance examination in the affiliated university in the first year of law graduationas per the criteria set by the University.

10.2 Separate merit lists will be prepared for unreserved and reserved categories.

11. **Priority for admission :-**

11.1 Basis of preference in first year Undergraduate/Postgraduate/Law classes, qualifying examination Passed regular/ex-regular candidates/self-study candidates will be placed according to the number of passed students.

11.2 The basis of priority in the next graduation/post graduation classes will be in the order of regular/self-study students of the previous session passed in the qualifying examination/ex-regular passed/supplement received in one subject.

11.3 Admission in the law stream for the next classes shall be first for the students who have passed the examination but students obtaining 48 aggregate shall be given preference, otherwise the order would be the same. If there is no facility for study, they will be given admission on order basis. If seats remain vacant and they come in sequence, students from the entire state will be eligible for admission in the entire state.

11.5 But the above provision will not be applicable for autonomous colleges, a student who has passed the postgraduate examination of one subject can be given

admission in the postgraduate class of another subject only if there is a vacancy in the college.

12. **Reservation will be as per the reservation policy of Chhattisgarh Government as given below:-**

12.1Reservation of seats in admission in each academic session and its extension in any educational institution will be in the following manner, namely:

(a) Thirty-two percent of the annual permitted strength in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Tribes.

(b) Twelve percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Castes.

(c) Fourteen percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Other Backward Classes.

Provided that, where the seats reserved for Scheduled Tribes remain vacant on the closing date(s) due to non-availability of eligible students, the same shall be filled from among the eligible students from the Scheduled Castes and vice versa.

Provided further that notwithstanding the provisions specified in the foregoing proviso, if the seats reserved under clause(a), (b) and (c) remain vacant on the closing dates, they will be filled from other eligible students.

12.2

(1) Reservation of seats available under clauses (a), (b) and (c) of point A. 12.1 will be determined vertically.

(2) The percentage of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women, ex-servicemen/ex-servicemen, children of freedom fighters or other special categories of persons shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time for the purposes of this Act be notified and this point is mentioned in clause (a) of 12.1. (b) and (c), as the case may be, shall be within the vertical reservation.

12.3 3 percent seats will be reserved for the sons and daughters of freedom fighters. 5 percent seats will be reserved for disabled category applicants.

12.4 Out of the available seats in all classes, 30 percent will be reserved for girl students.

12.5 If a candidate of reserved category is kept in the merit list as per rules in unreserved category open competition due to getting more marks, then the seats of reserved category will remain unaffected, but if such student belongs to any cadre like freedom fighter etc.If the seat in the cadre is also in that category, then this seat will be considered filled in that reserved category, the seats of the remaining cadre will be considered filled.

12.6 If the percentage of reserved space is less than 1/2 then the reserved space will not be available. If it falls between 1/2 per cent and 1 per cent then the number of reserved space will be one.

12.7 Jammu and Kashmir displaced people and their dependents should be given admission by increasing the seats by 5 percent and 10 percent relaxation will be given in the minimum marks.

12.8 Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.

12.9 The provisions of reservation shown in paragraph 12.1 will be subject to the decision of the Honorable High Court Bilaspur.

12:10 This instruction has been given in paragraph 129 (3) of the decision dated 15.04.2014 passed by the Honorable Supreme Court in this regard to the transgender people in the case number: WP (C) 400/2012 National Legal Services Authority vs. Government of India and others. Provided that "We direct the Center and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," should be strictly followed.

13Weightage :-

Weightage will be given only for determining the ranking, it will not be used for attaining eligibility.Weightagewill be given only on the percentage of marks obtained in the qualifying examination. It is mandatory to attach all the certificates for weightage with the admission application form. The certificates brought/submitted later after the application form will not be considered for

weightage, if more than one weightageis received, only the highest weightage will be given.

13.1 NCC/NSS/Scouts

The word Scouts should be read in the meaning of Scouts/Guides/Rangers/Rovers.

(a) NSS/NCC. "A" Certificate	02 percent
(b) Scouts who have passed NSS/NCC “B” Certificate and Second Step.	03 percent
(c) Scouts passing “C” Certificate or Third Step.	04 percent
(d) Students representing the group in the state	04 percent
(e) NCC under level directorate. Competition	05percent
(f) NCC/NSS of Chhattisgarh in the Republic Day Parade in New Delhi. To the student participating in cutting edge	05percent
(g) Governor Scouts	10percent
(h) President Scouts	10percent
(i) Best NCC Candidate of Chhattisgarh	10percent
(j) Cadets selected for NCC/NSS and migrating cadets participating in Youth Exchange Program between India and other countries. Students who have been selected for the International Jamboree.	15 percent

13.2Students who have passed honours curriculum subject course,Post Graduateon taking admission in the post graduate classes in the same subject. 10 percent

13.3 Sports/Literary/Cultural/Divas/Design Competitions -

(1) In district divisional level competitions organized by Directorate of Public Instruction or Chhattisgarh Higher Education Department or inter divisional/level competition organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan.03 percent

(a) Every member of the committee who got first, second or third place02 percent

(b) To the person securing the above position in the individual competition04 percent

(2) In the inter-regional national competition organized by the State level or Kendriya Vidyalaya Sangathan organized by the Department/Directorate mentioned in the above paragraph 13.3 (1) or by the Association of Indian Universities (AIU). In the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India or in the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India.

(a) Every member of the team who got first, second and third place 06 percent

(b) To the person who got the above position in the individual competition07 percent

(c) The contestant representing the division/area 05 percent

(3) In national competitions organized by the Association of Indian Universities, organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India -

(a) To those who get first, second, third place in individual competition15 percent

(b) To the members of the team securing first, second or third place 12 percent

(c) to the contestant representing the area 10 percent

13.4 To the members of the selected and visiting group in the field of artScience/Cultural/Literary/under Youth or Science and Cultural Exchange Program between India and other nations 10 percent

13.5 Chhattisgarh Government M.P. In national competitions organized by recognized sports associations: -

(a) To the members representing the team of Chhattisgarh/M.P. 10 percent

(b) To the members who obtained first, second and third place in Chhattisgarh's team 12 percent

13.6 To the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents01 percent

13.7 Special Incentive:-

To promote NCC/sports in the interest of Chhattisgarh state and college, the best cadets of NCC at national level will participate in Olympiad/Asiad/sports competitions organized by Sports Authority of India at national and international level. Child students should be given direct admission in the classes for which they are eligible in the upcoming academic session without any ranking.

(1) Such certificates will be sent to Questionnaire, Sports and Youth Welfare, Government of Chhattisgarh.

(2) This facility will be available only to those candidates who have submitted their representation to the college within the prescribed time period. But to receive this type of facility second time, they will need to retrieve the achievement.

13.8 For admission in the first year, certificates of up to the last four academic sessions at school level will be considered for weightage. For admission in the first year of postgraduate or law, certificates of up to the last three academic sessions will be considered for weightage. Certificates of previous session will be valid for weightage for admission in second, third year of graduation and second year of post-graduation.

14Faculty / Subject / Group Change :-

In the first year of graduation/postgraduation, the rank of order for the students who take admission by changing the faculty/subject/group of the qualifying examination will be determined by deducting 5 percent from their marks, weightage will be given on the reduced marks. After taking admission once in the first year of graduation/postgraduation in the college, change of faculty/subject/group during the current session is permitted by the college campus till 30th September or in case of delay in main examination result, from the last date of admission mentioned in clause 2.2. It will be given for 15 days only. This permission will be given only to those students whose marks are equal to or more than the students who got admission in the original merit list of the concerned subject/faculty.

15. Research student:-

Research students of PhD in government colleges will be given admission for two years. In case the library/practical work remains incomplete, the principal will be able to extend this time period to a maximum of 4 years on the recommendation of the supervisor. Students will apply in the prescribed application form.Regular admission will be granted only after depositing the prescribed fee after admission. For research students, the recognized professor supervisor posted in the college for PhD direction by the concerned university will carry out his/her work only as per the rules laid down by the university. If a teacher is working as a research student after taking study leave, then the approval will be given by the competent authority.The salary of the teacher will be drawn by the salary drawing officer only after receiving the attendance certificate and work progression report for three months.

In case of transfer of the professor supervisor posted in the college, the research students can continue their research work in the institution from where their research applications was forwarded. After the completion of the research work, the management of the research work will be done and forwarded by the principals of the colleges.

16. Note : -

16.1 Fake certificate: If an applicant has got admission due to wrong information, deliberately hidden adverse facts, administrative or official carelessness, then the full responsibility for cancellation of such admission will be on the applicant.

16.2 The Principal will have the right to cancel the admission of a student who remains absent continuously for one month or more without any proper reason, prior permission or information after taking admission.

16.3 After admission, during the session, the Principal will have the right to cancel the admission or expel the student involved in the cases of indiscipline mentioned in paragraphs 9.2 and 9.3.

16.4 In case the student leaves the college during the session after admission or his admission is canceled or expelled, no fee other than the reserved fund will be refunded to the student.

16.5 If there is a need for clarification of the guiding principles of admission or guidance in any matter related to admission, the Principal will compulsorily give clear comments and opinions in the matter and obtain clarification/guidance from the Commissioner of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. No matter should not be sent only by writing forward.

16.6 The authority to interpret the provisions mentioned in these guiding principles rests with the Commissioner, Higher Education Department. Chhattisgarh Government. Higher Education Department, Ministry will have the full right to change/amend/repeal/add these guiding principles from time to time.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu26@gmail.com

क्रमांक : 38 /अका./2017 रायपुर, दिनांक : 17/08/2020

प्रति,

(1) संचालक/प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,

(2) अध्यक्ष,
शिक्षण अध्ययनशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सत्र 2020-21 के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, रायपुर के पत्र क्र. 572/149/आउशि/अका/2020 दिनांक 07.08.2020.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत इस पत्र के साथ संलग्न कर, अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित है।

आदेशानुसार,

संलग्न :- प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक : 39 /अका./2020 रायपुर, दिनांक : 17/08/2020

प्रतिलिपि :-

कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
--00--

क्रमांक 572/149/आउशि/सम/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07/8/20

प्रति,

1. **कुलसचिव**
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

2. **प्राचार्य,**
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।**
संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.06.2020।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओ के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020-21 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020-21 मे दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.एच.एस.कर)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 573/149/आउशि/ सम/2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/8/20

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य मे सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

3650
07/8/20

Circulation to UTD & all colleges

M. Shetal
14.8.20

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
-------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29-06-2020

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका ज्ञापन क्रमांक 416/149/आउशि/सम/2020 दिनांक 26.05.2020

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र कुमार मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

सा.पु.(डी)

2/7/20

2/7/20

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
सत्र 2020–21 हेतु
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2020–21

1 प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में *प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।*

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी (कंडिका 5.1 (क))

उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय मे प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्य स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा मे प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय मे प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानान्तरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* मे उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं मे गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा मे पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :-**

3.1 महाविद्यालयों मे उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य अपना महाविद्यालय मे प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं मे बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाये।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों मे उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह मे निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा मे आवेदकों को प्रवेश देंगे।

Pritam

प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा मे प्राप्तांकों एव जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एव स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय मे प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं मे नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***15 सितम्बर*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाय। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि मे संलिप्त है या नही। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयो में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशो का पालन किया जाए।

5 **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(अ) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियो एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। ***व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।***

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नही होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.– प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. ***प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।***

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर मे ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमो के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर मे प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर मे भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-**

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमो मे प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 **समकक्ष परीक्षा :-**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयो जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नही होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओ की सूची व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 मे प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदको को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय मे स्नातक ...

के पाठ्यक्रमों मे दाखिलो के लिए अन्य सामान्य विषयो की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीपी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमे स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रो को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रो को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय मे अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमो में दाखिलो के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयो को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रो को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।"

7 **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होन से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयो/विषय समूहों मे आवेदको ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्ही विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप मे एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय मे प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रो को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा मे अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 *विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष* में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप मे मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी **महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा** में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश **की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नही लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नही माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नही हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय मे तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

(क) स्नातक प्रथम वर्ष मे 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदको को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा मे प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा **27 वर्ष** मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रो अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय मे प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ /महिला आवेदको के लिए आयु सीमा मे 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/ आवेदकों के लिए आयु सीमा मे 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय मे प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय मे स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम मे नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10 **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11 **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 *स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।*

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / स्वाध्यायी नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उध्वांधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उध्वांधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती / नातिन के 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगा।

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन मेरिट में स्थान पाता है तथा नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत् अप्रभावित रहेगी परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें नहीं जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संभाग्यकालीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत

05 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को — 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

दल एवं अन्य राष्ट्रों के साथ यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल

* एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / — 10 प्रतिशत

कला क्षेत्र में शामिल एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :-**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण- पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-**

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो.

15\. [illegible] :- महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। [illegible] महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा।

पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे. प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 **विशेष** :-

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

Chhattisgarh Government
Higher Education Department
Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar
District-Raipur

S.No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar, Raipur Dated 29-06-2020

To,

The Commissioner,
Directorate of Higher Education,
Indravati Bhawan,
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.

Subject :- Regarding preparing the admission guidelines for the educational institutions of Chhattisgarh for the session 2020-21.

Reference :- Your memorandum number 416/149/CHE/Co./2020, dated 26.05. 2020

Please see the proposal referred under the subject.

A copy of the approved admission guidelines for the academic session 2020-21 of the educational institutions run under the Higher Education Department of the state is sent here.

Please provide a copy of the guide to all concerned institutions and direct them to strictly follow the provisions given in the guide.

Attachment :- As above.

(Ravindra Kumar Medhekar)
Under Secretary
Chhattisgarh Government,
Higher Education Department

No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur

Copy to

1. Special Assistant, Honorable Minister, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.
2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Higher Education Department, Ministry, Naya Raipur Atal Nagar, Raipur and forwarded for information.
3. Special Duty Officer, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, NavaRaipur Atal Nagar, Raipur.
4. Guard File.

Under Secretary
ChhattisgarhGovernment,

HigherEducationDepartment

Office of the Commissioner, Higher Education
Block-C-3 Second and Third Floor Indravati Bhawan,
Atal Nagar, Raipur (Chhattisgarh)

Serial number/572/CHE/Coordination/2020 Raipur, dated 7/08/2020

Copy,

1. Registrar,
   All Universities,
   Chhattisgarh.
2. Principals,
   All leading colleges,
   Chhattisgarh.

Subject:- Principles of admission guidelines for the session 2020-21 for educational institutions of Chhattisgarh.

Reference:- Under Secretary Chhattisgarh. Government Higher Education Department's letter number F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur, dated 29.06.2020.

The above mentioned article is that Chhattisgarh. Admission guidelines for the session 2020-21 have been issued for the educational institutions of Chhattisgarh state by the referred letter of the Higher Education Department. A copy of the Admission Guide Principles 2020-21 is enclosed.

Please ensure that you strictly follow the provisions given in the Admission Guide Principles 2020-21 by providing a photocopy of the letter to yourself and all the government/non-government colleges under you.

Attached - as above

(Dr. H.S. Kar)
Additional Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Page No./573/49/CHE/Coordination/2020 Atal Nagar Raipur, dated 7/08/2020

Copy :-

1. Under Secretary Chhattisgarh. For information regarding the letter referred to the Government, Higher Education Department. For information towards
2. Regional Additional Director, Regional Office, Higher Education Raipur / Bilaspur / Jagdalpur / Ambikapur / Durg.

Joint Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Chhattisgarh Government

Higher Education Department

Guiding Principles for Admission in Undergraduate and Postgraduate Classes of Government/Non-Government Colleges of Chhattisgarh

Session 2020-21

1. **Use :-**

1.1 These guiding principles will be applicable in all the government/non-government colleges of Chhattisgarh, read with the provisions of Ordinance No. 6 and 7 under Chhattisgarh University Act-1973 and all the principals will ensure their compliance.

1.2 Government and non-government colleges will have to strictly follow the rules of admission. "Entry means the first year or first semester of the undergraduate class and the first or first semester of the post-graduate class.

2. **Date of admission :-**

2.1 **Submission of application form for admission:-**

This year online form will be submitted for admission at the university level. The colleges for which forms are submitted will be sent to that college. From the application received online, the Principal will grant admission based on rules and guidelines received from the Government.

A. If due to unavoidable reasons the application has to be submitted offline, then the application form prescribed by the principal for admission in the college will be submitted by the student along with the certificate to the college by the prescribed date.

B. In case the mark sheet is not provided by the Board/University for admission, applications should be submitted without the mark sheet after getting certified by the concerned Principal of the previous institution.

2.2 **Setting the last date for admission:-**

In case of late declaration of results , the last date of admission will be valid till 10 days from the date of receipt of the examination result in the college or till 15 days from the date of declaration of the examination result by the University/Board, whichever is earlier. Mentioned in paragraph 5.1 (a), on transfer of employees, their

sons and daughters seeking admission after the last date of admission should be given admission during the session only if the place is vacant, but for this, proof of joining by the employee is required - Admission will be granted only if the letter is submitted and the applicant gets admission in another college before the last date fixed for admission.

Explanation:-

Applicant "A" had taken admission in a class as per rules in a college at some other place (A). After that, his guardian got transferred to place "B", now he wants to take admission in a college of this place (B), he will be given admission only if there is a vacancy. The applicant "B" did not take admission in college where his father was posted but as soon as his father was transferred,(B) wants to take admission in some college. So now the deadline for admission Applicant (B) cannot be given admission after the date has passed.

2.3 **Fixing the last date of admission for the students passed in revaluation:-**

Students who have passed the revaluation of other Faculties other than the Faculty of Law will be eligible for admission if they fall in the merit list after the permission of the Vice Chancellor of the concerned University, within 15 days of the declaration of the results of the revaluation. But even if there is eligibility for admission in the classes of Law Faculty on the basis of merit, admission will be given only if there is vacancy in the college. Students who have passed revaluation in class 12th will also be eligible for regular admission if seats become vacant.

3. **Determination of admission number :-**

3.1Based on the resources available in the colleges and seating arrangements in the classrooms, equipment available in the laboratory/usable materials and availability of staff etc., students will be given admission for different classes as per the student number (seats) given earlier. If Principal want to increase the number of seats for admission in College, then he should send its proposal to the Directorate of Higher Education by 30th April and "admission will be done as per the increased seats only after getting permission from the Directorate of Higher Education/Higher Education Department."

3.2 According to the criteria set by the Bar Council, only a maximum of 80 students should be given admission per section (maximum 4 sections) in the first, second and third year classes of Law Graduation on the basis of merit.The subject/subject group

of teaching has been determined for each class by the affiliated university/autonomous college. Principals will give admission to the applicants in each class as per the prescribed admission number in the same prescribed subject group in their colleges.

4. **Admission List:-**

4.1 While giving information about the last date fixed for depositing the admission fee, the principal will put up on the notice board the list of marks obtained in the qualifying examination of the students selected for admission and the total marks obtained by paying surcharge where surcharge is payable, along with the percentage marks.

4.2 Permission to deposit the admission fee will be given only after the copies of the necessary attached certificates are certified by the admission committee by matching them with the original certificates and the original copy of the transfer certificate is submitted. Immediately after granting admission, the transfer certificate should be canceled by stamping “Admission granted”.

4.3 Admission in the college will be valid only after depositing the prescribed fee. After admission, the original copy of the transfer certificate should be compulsorily canceled by putting a seal of cancellation on it.

4.4 If there is vacancy in the declared admission list after the last date of submission of fee, late fee of Rs 100/- will be charged extra for non-official item for admission in all the classes as per rules, however, in such cases, admission will not be allowed after 31st July.

4.5 Admission should not be granted on the basis of duplicate transfer certificate. In case of loss of transfer certificate, an FIR should be lodged by the student in the nearest police station. Admission can be granted only on receipt of the police station report and the authorized report from the previous admission institution which mentions the serial number and date of the original transfer certificate. For this, an undertaking should be taken from the student.

4.6 Along with issuing the transfer certificate, the Principal of the college will issue a confidential report regarding whether the concerned student is involved in ragging/indiscipline/sabotage etc. Such confidential report will be sealed in a sealed envelope and sent to the Principal of the college where the student has applied for admission.

4.7 According to the order number 2653/2014/38-1 dated 10.09.2014 of the Government of Chhattisgarh, Higher Education Department, "The state government,

hereby, provides exemption from tuition fees to the graduate level girl students studying in government colleges from the academic night 2014-15" should be followed.

5 **Eligibility for admission:-**

5.1 **Resident and Qualifying Examination:-**

(a) Original/permanent resident of Chhattisgarh, holder of permanent property in Chhattisgarh, State or Centre.Government employees, semi-government employees and employees of private limited companies, employees of nationalized banks and commercial organizations run by the Government of India whose posting is in Chhattisgarh. Only their sons/daughters and the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents will be given admission in government colleges. Even after giving admission as above, if there is vacancy in the seats, applicants who have passed the recognized board and qualifying examination of other states can be given admission on the basis of merit as per rules.

(b) From an affiliated university or from schools recognized by the affiliated university, only those applicants who pass the qualifying examination will be eligible for admission in the college.

(c) The applicant should be granted admission only after obtaining the eligibility certificate from the concerned university as per requirement.

5.2**Graduation level, regular admission:-**

(a) Applicants who have passed 10+2 examination are not eligible for regular admission in the first year of graduation. But applicants from Commerce and Arts faculty will not be given admission in Science faculty. A student who has passed B.Sc. (Home Science) first year from any faculty will be eligible for admission.

(b) Applicants who have passed the first and second year examination at the graduation level will be eligible for regular admission in the second/third year of the same subjects respectively. There will be no eligibility for change of subject at the second graduation level.

5.3 **Post Graduate Level Regular Admission:-**

(a) B. Com./B.Sc.(Home Science)/B.A. Applicants who have passed graduation examination can get M.Com/M.Sc. respectively. Applicants who have passed B.Sc. (Home Science)/M.A. Previous /1st Sem and qualifying subjects are eligible for regular admission in M.Sc. /M.A.Previous.

(b) Applicants who have passed postgraduate first year/first semester will be eligible for regular admission in postgraduate second year of the same subject. Under the semester system, applicants who pass the pre-qualifying examination will be eligible for regular admission in the next semester.

(c) ATKT for postgraduate classes. (Allowed To Keep firms) Rules :-

1. It is mandatory for applicants who are eligible for provisional admission in the first semester of postgraduate to take provisional admission before the last date fixed for admission.

2 ATKT in Post Graduate Third Semester as per the (Allowed To Keep Terms) rules, eligible applicants will be eligible for provisional admission in the next semester.

5.4 **Law Faculty Regular Admission :-**

(a) Applicants who have passed the graduation examination will be eligible for regular admission in the first year of Bachelor of Laws.

(b) Applicants who have passed the Bachelor of Law examination will be eligible forRegular admission in first year L.L.M.

(c) L.L.B. First Semester and L.L.M. Applicants who have passed the first semester examination are eligible for L.L.B. Second Semester and L.L.M. Will be eligible for admission in second semester. Similarly, the same process of admission will be applicable in third, fourth and fifth semester also.

5.5 **Minimum marks limit in the qualifying examination for admission:-**

(a) The minimum marks limit for admission in the first year of Bachelor of Laws will be 45% (40% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste). And applicants who have obtained 55% marks (50% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste/OBC) in the first half of Post Graduation in Law will be eligible for regular admission.

5.6 The provisions of the concerned institution will be effective on admission/operation in the courses approved by AICTE NOTE BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA.

6. **Equivalent Examination-**

6.1 10+2 examinations of Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council for Secondary Education (ICSE) and schools/intermediate boards of other states are equivalent to 10+2Board of Secondary Educationexamination. Principals can obtain the list of recognized boards from the affiliated universities.

6.2 All theexaminations ofUniversities located generally in India which are members of the Association of Universities are considered equivalent to the examinations of the University of Chhattisgarh. The examinations of such universities (except IGNOU) which conduct distance courses but do not have permission from the state government are not valid. As per the instructions of the University Grants Commission, New Delhi, any university or educational institution outside the state of Chhattisgarh is not allowed to open study centers/off campuses etc. in the state of Chhattisgarh and give admission/grant degrees to the students and degrees/diplomas from such institutions are not recognized as statutory, will not be formally valid.

6.3 The Principal should obtain from the Principal of the affiliated University the list of educational institutions of the University recognized by the affiliated University and the information about fake or unrecognized universities or educational institutions whose degrees are not valid, issued by the University Grants Commission from time to time.

6.4 Applicants passed under NVEQF (National Vocational Educational Qualification Framework) started in 2012 should be given equal priority compared to other general subjects for admission to undergraduate level courses in universities and colleges.

Universitycommission grantsemi-official ofLetterNo1-52/2013 (CC/NSQF) April, 2014 –

"As you are aware, the National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) has been amended by the Ministry of Human Resource Development in the National Skill Qualification Framework (NSQF) notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has incorporated all the important features formulated in NSQF. As notified in NSQF, it offers certificates from Level 1 to 10, including Level 5 to Level 10 certificates from higher education and certificates from Level 1 to Level 4 relate to the field of school education. Pursuant to the NVEQF, which was launched in 2012, courses were offered to students by some school boards and under the NVEQF, students were awarded equivalent certificates. These students, under NSQAFlevel 4 will be able to complete 10+2 education with certified marks by the year 2014. The Ministry of Human Resource Development, Government of India has expressed apprehension that students who wish to take admission in any undergraduate course in universities and colleges and who had vocational subjects at 12 level will be at a disadvantage. Therefore, I request you that when students are trying to get admission in any other undergraduate courses in the university and college, then such subjects should be given equal priority compared to other general subjects, so that these students shall be provided opportunities for horizontal mobility."

7. **Admission of external applicants :-**

7.1 With the implementation of integrated curriculum in Graduate students B.A./B.Com./B.Sc./B.H.Sc. in Chhattisgarh, applicants who have passed the first/second year examination from any university/autonomous college of Chhattisgarh are eligible for admission in the second/third year respectively, but the applicants who have studied in the subjects/groups of subjects being taught in the affiliated university/autonomous college. Regular admission should be given only after checking whether the candidate has appeared in the previous examination. If necessary, eligibility certificate must be obtained from the university.

7.2 Applicants who have passed 1st/2nd graduation level examination from universities/autonomous colleges located outside Chhattisgarh, pre-post graduation examination from other universities/autonomous colleges or 1st, 2nd, 3rd semester examination and 1st/2nd year graduation level examination of law affiliated to them. Regular admission should be given in the next class of the same subjects/subject group only after submitting the eligibility certificate from the universities.

Students from outside the state will have to give an affidavit in the prescribed format. If any kind of false/incorrect information is found, the admission of the concerned student will be canceled and he will be denied admission in any university of the state. It is mandatory to get the documents submitted by applicants from other states certified by the concerned Board/University.

7.3 Self-study applicants in science and other practical subjects and former students of the college may be allowed by the Principal to do only practical work by charging the prescribed fee till 30th November, if there is a vacancy.

8**. It will be mandatory for the students who are eligible for temporary admission to take temporary admission before the last date fixed for admission: -**

8.1 Regular applicants who have appeared in supplementary examination (compartment) in 10+2 and first/second year examination of graduation will be eligible for provisional admission in case of vacancy in the next class.

8.2 In the Post Graduatesemester, supplementary/ATKT applicants shall be eligible for provisional admission.

8.3 Applicants who have not completed the prescribed aggregate of 48 percent in the first and second year of law graduation or have obtained Supplymentary will be eligible for provisional admission in the next class.

8.4 Applicants of Section 1 and 2 of Para 7 above will not be eligible for temporary admission.

8.5 If they fail in the supplementary examination, the temporary admission of the students who have received temporary admission will be cancelled. If passed, temporary admission will be recognized as regular admission.

(d) For admission in Sanskrit Mahavidyalaya, applicants above 25 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first semester of pre-graduation will be eligible for admission.

(e) There will be a relaxation of 3 years in the age limit for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Backward and/Women applicants except Law Faculty. There will be a relaxation of 5 years in the age limit for disabled candidates.

9.5 A full-time government/non-government employee will not be eligible for regular admission in the college during his/her daily working hours. If the applicant applies for admission in a college after the daily duty period, admission will be given only after the applicant presents no-objection certificates from the employer.

9.6 Students who have completed graduation degree in any faculty will not be eligible for regular admission in the courses of any other faculty.

10.**Determination of order for admission:-**

10.1 If there are more applicants than the available places, admission will be done in the following order.

(a) Marks and percentage of qualifying examination for admission to undergraduate and postgraduate classes.If payable, then on the basis of total percentage marks obtained by adding surcharge and

(b) There should be a provision for entrance examination in the affiliated university in the first year of law graduationas per the criteria set by the University.

10.2 Separate merit lists will be prepared for unreserved and reserved categories.

11. **Priority for admission :-**

11.1 Basis of preference in first year Undergraduate/Postgraduate/Law classes, qualifying examinationPassed regular/ex-regular candidates/self-study candidates will be placed according to the number of passed students.

11.2 The basis of priority in the next graduation/post graduation classes will be in the order of regular/self-study students of the previous session passed in the qualifying examination/ex-regular passed/supplement received in one subject.

11.3 Admission in the law stream for the next classes shall be first for the students who have passed the examination but students obtaining 48 aggregate shall be given preference, otherwise the order would be the same.

11.4 If there is no facility for study, they will be given admission on order basis. If seats remain vacant and they come in sequence, students from the entire state will be eligible for admission in the entire state.

11.5 But the above provision will not be applicable for autonomous colleges, a student who has passed the postgraduate examination of one subject can be given admission in the postgraduate class of another subject only if there is a vacancy in the college.

12. **Reservation will be as per the reservation policy of Chhattisgarh Government as given below:-**

12.1Reservation of seats in admission in each academic session and its extension in any educational institution will be in the following manner, namely:

(a) Thirty-two percent of the annual permitted strength in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Tribes.

(b) Twelve percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Castes.

(c) Fourteen percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Other Backward Classes.

Provided that, where the seats reserved for Scheduled Tribes remain vacant on the closing date(s) due to non-availability of eligible students, the same shall be filled from among the eligible students from the Scheduled Castes and vice versa.

Provided further that notwithstanding the provisions specified in the foregoing proviso, if the seats reserved under clause(a), (b) and (c) remain vacant on the closing dates, they will be filled from other eligible students.

12.2

(1) Reservation of seats available under clauses (a), (b) and (c) of point A. 12.1 will be determined vertically.

(2) The percentage of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women, ex-servicemen/ex-servicemen, children of freedom fighters or other special categories of persons shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time for the purposes of this Act be notified and this point is mentioned in clause (a) of 12.1. (b) and (c), as the case may be, shall be within the vertical reservation.

12.3 3 percent seats will be reserved for the sons and daughters of freedom fighters. 5 percent seats will be reserved for disabled category applicants.

12.4 Out of the available seats in all classes, 30 percent will be reserved for girl students.

12.5 If a candidate of reserved category is kept in the merit list as per rules in unreserved category open competition due to getting more marks, then the seats of reserved category will remain unaffected, but if such student belongs to any cadre like freedom fighter etc.If the seat in the cadre is also in that category, then this seat will be considered filled in that reserved category, the seats of the remaining cadre will be considered filled.

12.6 If the percentage of reserved space is less than 1/2 then the reserved space will not be available. If it falls between 1/2 per cent and 1 per cent then the number of reserved space will be one.

12.7 Jammu and Kashmir displaced people and their dependents should be given admission by increasing the seats by 5 percent and 10 percent relaxation will be given in the minimum marks.

12.8 Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.

12.9 The provisions of reservation shown in paragraph 12.1 will be subject to the decision of the Honorable High Court Bilaspur.

12:10 This instruction has been given in paragraph 129 (3) of the decision dated 15.04.2014 passed by the Honorable Supreme Court in this regard to the transgender people in the case number: WP (C) 400/2012 National Legal Services Authority vs. Government of India and others. Provided that "We direct the Center and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," should be strictly followed.

13Weightage :-

Weightage will be given only for determining the ranking, it will not be used for attaining eligibility.Weightagewill be given only on the percentage of marks obtained in the qualifying examination. It is mandatory to attach all the certificates for weightage with the admission application form. The certificates brought/submitted later after the application form will not be considered for weightage, if more than one weightageis received, only the highest weightage will be given.

13.1 NCC/NSS/Scouts

The word Scouts should be read in the meaning of Scouts/Guides/Rangers/Rovers.

(a) NSS/NCC. "A" Certificate	02 percent
(b) Scouts who have passed NSS/NCC “B” Certificate and Second Step.	03 percent
(c) Scouts passing “C” Certificate or Third Step.	04 percent
(d) Students representing the group in the state	04 percent
(e) NCC under level directorate. Competition	05percent
(f) NCC/NSS of Chhattisgarh in the Republic Day Parade in New Delhi. To the student participating in cutting edge	05percent
(g) Governor Scouts	10percent
(h) President Scouts	10percent
(i) Best NCC Candidate of Chhattisgarh	10percent
(j) Cadets selected for NCC/NSS and migrating cadets participating in Youth Exchange Program between India and other countries. Students who have been selected for the International Jamboree.	15 percent

13.2Students who have passed honours curriculum subject course,Post Graduateon taking admission in the post graduate classes in the same subject. 10 percent

13.3 Sports/Literary/Cultural/Divas/Design Competitions -

(1) In district divisional level competitions organized by Directorate of Public Instruction or Chhattisgarh Higher Education Department or inter divisional/level competition organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan.03 percent

(a) Every member of the committee who got first, second or third place02 percent

(b) To the person securing the above position in the individual competition04 percent

(2) In the inter-regional national competition organized by the State level or Kendriya Vidyalaya Sangathan organized by the Department/Directorate mentioned in the

above paragraph 13.3 (1) or by the Association of Indian Universities (AIU). In the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India or in the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India.

(a) Every member of the team who got first, second and third place 06 percent

(b) To the person who got the above position in the individual competition07 percent

(c) The contestant representing the division/area 05 percent

(3) In national competitions organized by the Association of Indian Universities, organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India -

(a) To those who get first, second, third place in individual competition15 percent

(b) To the members of the team securing first, second or third place 12 percent

(c) to the contestant representing the area 10 percent

13.4 To the members of the selected and visiting group in the field of artScience/Cultural/Literary/under Youth or Science and Cultural Exchange Program between India and other nations 10 percent

13.5 Chhattisgarh Government M.P. In national competitions organized by recognized sports associations: -

(a) To the members representing the team of Chhattisgarh/M.P. 10 percent

(b) To the members who obtained first, second and third place in Chhattisgarh's team 12 percent

13.6 To the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents01 percent

13.7 Special Incentive:-

To promote NCC/sports in the interest of Chhattisgarh state and college, the best cadets of NCC at national level will participate in Olympiad/Asiad/sports competitions organized by Sports Authority of India at national and international level. Child students should be given direct admission in the classes for which they are eligible in the upcoming academic session without any ranking.

(1) Such certificates will be sent to Questionnaire, Sports and Youth Welfare, Government of Chhattisgarh.

(2) This facility will be available only to those candidates who have submitted their representation to the college within the prescribed time period. But to receive this type of facility second time, they will need to retrieve the achievement.

13.8 For admission in the first year, certificates of up to the last four academic sessions at school level will be considered for weightage. For admission in the first year of postgraduate or law, certificates of up to the last three academic sessions will be considered for weightage. Certificates of previous session will be valid for weightage for admission in second, third year of graduation and second year of post-graduation.

14Faculty / Subject / Group Change :-

In the first year of graduation/postgraduation, the rank of order for the students who take admission by changing the faculty/subject/group of the qualifying examination will be determined by deducting 5 percent from their marks, weightage will be given on the reduced marks. After taking admission once in the first year of graduation/postgraduation in the college, change of faculty/subject/group during the current session is permitted by the college campus till 30th September or in case of delay in main examination result, from the last date of admission mentioned in clause 2.2. It will be given for 15 days only. This permission will be given only to those students whose marks are equal to or more than the students who got admission in the original merit list of the concerned subject/faculty.

15. Research student:-

Research students of PhD in government colleges will be given admission for two years. In case the library/practical work remains incomplete, the principal will be able to extend this time period to a maximum of 4 years on the recommendation of the supervisor. Students will apply in the prescribed application form.Regular admission will be granted only after depositing the prescribed fee after admission. For research students, the recognized professor supervisor posted in the college for PhD direction by the concerned university will carry out his/her work only as per the rules laid down by the university. If a teacher is working as a research student after taking study leave, then the approval will be given by the competent authority.The salary of the teacher will be drawn by the salary drawing officer only after receiving the attendance certificate and work progression report for three months.

In case of transfer of the professor supervisor posted in the college, the research students can continue their research work in the institution from where their research applications was forwarded. After the completion of the research work, the

management of the research work will be done by the principals of the colleges. Will forward.

16. Note : -

16.1 Fake certificate: If an applicant has got admission due to wrong information, deliberately hidden adverse facts, administrative or official carelessness, then the full responsibility for cancellation of such admission will be on the applicant.

16.2 The Principal will have the right to cancel the admission of a student who remains absent continuously for one month or more without any proper reason, prior permission or information after taking admission.

16.3 After admission, during the session, the Principal will have the right to cancel the admission or expel the student involved in the cases of indiscipline mentioned in paragraphs 9.2 and 9.3.

16.4 In case the student leaves the college during the session after admission or his admission is canceled or expelled, no fee other than the reserved fund will be refunded to the student.

16.5 If there is a need for clarification of the guiding principles of admission or guidance in any matter related to admission, the Principal will compulsorily give clear comments and opinions in the matter and obtain clarification/guidance from the Commissioner of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. No matter should not be sent only by writing forward.

16.6 The authority to interpret the provisions mentioned in these guiding principles rests with the Commissioner, Higher Education Department. Chhattisgarh Government. Higher Education Department, Ministry will have the full right to change/amend/repeal/add these guiding principles from time to time.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771- 2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव) E-mail ID- academicprsu@gmail.com

क्रमांक : 3370 /अका./2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021

प्रति,

(1) अध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशाला,

(2) संचालक/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सत्र 2021-22 के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, रायपुर के पत्र क. 1684/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 14.07.2021.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत इस पत्र के साथ संलग्न कर, आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

संलग्न :- प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

पृ. क्रमांक : 3371 /अका./2021 रायपुर, दिनांक : 24 /07/2021

प्रतिलिपि :-

कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1684 / 214 / आउशि / सम. / 2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.07.21

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़
2. **प्राचार्य,**
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़

विषय :– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी करने के संबंध में।**

संदर्भ :– अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 दिनांक 03.07.2021।

******

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

14.7.2021

(डॉ. एच.पी.खैरवार)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

956/अ.प्रशा.
15-7-2021

पृ.क्रमांक 1685 / 214 / आउशि / सम. / 2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14-07-21

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ;
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

14.7.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

d:\praveen letter 2021\letter docs723

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला—रायपुर
----00-------

No.: L-201 ---- 22 ---- 1145
AD ---- JDI ---- DD
Section ----
Date 6 JUL 2021 C.H.E.

क्रमांक एफ 17—95/2017/38—2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः— **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021—22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः— **आपका ज्ञापन क्रमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.2021**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021—22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17—95/2017/38—2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021–22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

५ (1१५)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2021–22

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2 **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय को परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 8 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में **उत्तीर्ण छात्रों** को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना **के परिणाम घोषित होने के 15** दिन तक, **संबंधित विश्वविद्यालय** के कुलपति **की अनुमति** के पश्चात् **गुणानुक्रम** में आने पर **प्रवेश** की **पात्रता** होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में **स्थान रिक्त** होने पर ही **प्रवेश** दिया **जायेगा**। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण **छात्र**–छात्राओं को भी **स्थान** रिक्त **होने** पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध **उपकरण**/उपयोग योग्य सामग्री एवं **स्टाफ** की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र **संख्या** (सीट) अन्तर्गत ही **विभिन्न कक्षाओं** के लिए छात्रों को प्रवेश दिया **जावेगा**। **यदि** प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु **छात्र** संख्या **में** सीट की **वृद्धि** चाहते हैं तो **वे** 30 **अप्रैल** तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि **स्नातक प्रथम, द्वितीय** ,तृतीय **वर्ष** *एवं **पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.*** **की कक्षाओं** में बार **कौंसिल** द्वारा निर्धारित मापदण्डों के **अनुसार अधिकतम** 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में **प्रवेश** गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के **विषय/विषय** समूह **का निर्धारण** किया गया है। **प्राचार्य** अपने महाविद्यालयों में **उन्हीं** निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश [illegible] चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्र[illegible] शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "**प्रवेश दिया गया**" की **मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये**।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्[illegible] स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निर[illegible] कर दिया जाये।

4.4 **घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद** स्थान रिक्त होने पर स[illegible] **कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अति**[illegible] रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***15 सितम्बर*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति [illegible] दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया [illegible] **स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में**, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने [illegible] एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से [illegible] रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, [illegible] होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 **महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण**–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि [illegible] संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर [illegible] छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन कि[illegible] जाए।

5. **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या [illegible] सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी [illegible] कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों [illegible] कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ;

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। **बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक** पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अन्तर्गत **बी.एस.सी. (बायो / गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।**

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम. / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम / एम.एस.सी (गृह विज्ञान) / एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय में बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी / एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / पूर्व–भूगोल मे उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान / अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम –

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदक प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है;

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि संकाय नियमित प्रवेश :–**

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) **विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को** एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 56% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैंपस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 मे प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीपीपी-एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के **बाहर** के **विद्यार्थियों को निर्धारित** प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना **होगा** किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर ... महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक ... करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की **पात्रता होगी।**

8.4 **उपरोक्त कंडिका** 7 के **खण्ड** 1 **एवं** 2 **के आवेदकों को अस्थायी** प्रवेश की **पात्रता नहीं होगी।**

8.5 पूरक परीक्षा में **अनुत्तीर्ण** होने पर **अस्थायी प्रवेश** प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया **जावेगा।**

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश** प्राप्त **छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा** में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः **नियमित** प्रवेश **की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं **लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं** माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश **नहीं** लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति का [illegible] करने वाले / रैगिंग [illegible] आरोपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के [illegible] जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर [illegible] के प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एवं एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट [illegible] अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का [illegible]

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग / [illegible] आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी / आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि [illegible] लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि [illegible] उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10 **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान [illegible] विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व ... के नियमित ... विद्यार्थियों के क्रम से होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजाति के साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / ... स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित रहेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मान जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कण्डिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	15 प्रतिशत

करने वाले को

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंदर अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा पुनः बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पिछले सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाए। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति मे सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं तीन माह में कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 **विशेष :-**

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति मे विद्यार्थी को सुरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

Office of the Commissioner, Higher Education

Block-C-3 Second and Third Floor Indravati Bhawan,

Atal Nagar, Raipur (Chhattisgarh)

No./1684/210/CHE/Coordination/2021 Atal Nagar Raipur, dated 14/07/2021

Copy,

1. Registrar,
   All Universities,
   Chhattisgarh

2. Principals,
   All Leading Colleges,
   Chhattisgarh

Subject: - Principles of admission guidelines for the session 2021-22 for educational institutions of Chhattisgarh.

Reference: - Under Secretary Chhattisgarh. Government Higher Education Department's letter number 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur, dated 03.07.21

The above mentioned article is that Chhattisgarh. Admission guidelines for the session 2021-22 have been issued for the educational institutions of Chhattisgarh state by the referred letter of the Higher Education Department. A copy of the Admission Guide Principles 2021-22 is enclosed.

Please ensure that you strictly follow the provisions given in the Admission Guide Principles 2021-22 by providing a photocopy of the letter to yourself and all the government/non-government colleges under you.

Attached - as above

(Dr. H.P. Khairwar)
Additional Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Page No./1685/214/CHE/Coordination/2021 Raipur, dated 14/7/2021

Copy :-

1. Under Secretary Chhattisgarh. For information regarding the letter referred to the Government, Higher Education Department. For information towards

2. Regional Additional Director, Regional Office, Higher Education Raipur / Bilaspur / Jagdalpur / Ambikapur / Durg.

Joint Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Chhattisgarh Government
Higher Education Department
Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar
District-Raipur

S.No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar, Raipur Dated 03-07-2021

To,

The Commissioner,
Directorate of Higher Education,
Indravati Bhawan,
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.

Subject :- Regarding preparing the admission guidelines for the educational institutions of Chhattisgarh for the session 2021-22.

Reference :- Your memorandum number 1563/214/CHE/CO./2021, dated 16.06. 2021

Please see the proposal referred under the subject.

A copy of the approved admission guidelines for the academic session 2021-22 of the educational institutions run under the Higher Education Department of the state is sent here.

Please provide a copy of the guide to all concerned institutions and direct them to strictly follow the provisions given in the guide.

Attachment :- As above.

(A.R. Khan)
Under Secretary
Chhattisgarh Government,
Higher Education Department

No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur

Copy to

1. Special Assistant, Honorable Minister, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.
2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Higher Education Department, Ministry, Naya Raipur Atal Nagar, Raipur and forwarded for information.
3. Special Duty Officer, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, NavaRaipur Atal Nagar, Raipur.
4. Guard File.

Under Secretary
ChhattisgarhGovernment,

HigherEducationDepartment

Chhattisgarh Government

Higher Education Department

Guiding Principles for Admission in Undergraduate and Postgraduate Classes of Government/Non-Government Colleges of Chhattisgarh

Session 2021-22

1. **Use :-**

1.1 These guiding principles will be applicable in all the government/non-government colleges of Chhattisgarh, read with the provisions of Ordinance No. 6 and 7 under Chhattisgarh University Act-1973 and all the principals will ensure their compliance.

1.2 Government and non-government colleges will have to strictly follow the rules of admission. "Entry means the first year or first semester of the undergraduate class and the first or first semester of the post-graduate class.

2. **Date of admission :-**

2.1 **Submission of application form for admission:-**

This year online form will be submitted for admission at the university level. The colleges for which forms are submitted will be sent to that college. From the application received online, the Principal will grant admission based on rules and guidelines received from the Government.

A. If due to unavoidable reasons the application has to be submitted offline, then the application form prescribed by the principal for admission in the college will be submitted by the student along with the certificate to the college by the prescribed date.

B. In case the mark sheet is not provided by the Board/University for admission, applications should be submitted without the mark sheet after getting certified by the concerned Principal of the previous institution.

2.2 **Setting the last date for admission:-**

In case of late declaration of results, the last date of admission will be valid till 10 days from the date of receipt of the examination result in the college or till 15 days from the date of declaration of the examination result by the University/Board, whichever is earlier. Mentioned in paragraph 5.1 (a), on transfer of employees, their

sons and daughters seeking admission after the last date of admission should be given admission during the session only if the place is vacant, but for this, proof of joining by the employee is required - Admission will be granted only if the letter is submitted and the applicant gets admission in another college before the last date fixed for admission.

Explanation:-

Applicant "A" had taken admission in a class as per rules in a college at some other place (A). After that, his guardian got transferred to place “B”, now he wants to take admission in a college of this place (B), he will be given admission only if there is a vacancy. The applicant “B” did not take admission in college where his father was posted but as soon as his father was transferred,(B) wants to take admission in some college. So now the deadline for admission Applicant (B) cannot be given admission after the date has passed.

2.3 **Fixing the last date of admission for the students passed in revaluation:-**

Students who have passed the revaluation of other Faculties other than the Faculty of Law will be eligible for admission if they fall in the merit list after the permission of the Vice Chancellor of the concerned University, within 15 days of the declaration of the results of the revaluation. But even if there is eligibility for admission in the classes of Law Faculty on the basis of merit, admission will be given only if there is vacancy in the college. Students who have passed revaluation in class 12th will also be eligible for regular admission if seats become vacant.

3. **Determination of admission number :-**

3.1Based on the resources available in the colleges and seating arrangements in the classrooms, equipment available in the laboratory/usable materials and availability of staff etc., students will be given admission for different classes as per the student number (seats) given earlier. If Principal want to increase the number of seats for admission in College, then he should send its proposal to the Directorate of Higher Education by 30th April and “admission will be done as per the increased seats only after getting permission from the Directorate of Higher Education/Higher Education Department."

3.2 According to the criteria set by the Bar Council, only a maximum of 60 students should be given admission per section (minimum 2 sections and

maximum 5 sections) in the first, second and third year classes of Law Graduation on the basis of merit.

3.3 The subject/subject group of teaching has been determined for each class by the affiliated university/autonomous college. Principals will give admission to the applicants in each class as per the prescribed admission number in the same prescribed subject group in their colleges.

4. **Admission List:-**

4.1 While giving information about the last date fixed for depositing the admission fee, the principal will put up on the notice board the list of marks obtained in the qualifying examination of the students selected for admission and the total marks obtained by paying surcharge where surcharge is payable, along with the percentage marks.

4.2 Permission to deposit the admission fee will be given only after the copies of the necessary attached certificates are certified by the admission committee by matching them with the original certificates and the original copy of the transfer certificate is submitted. Immediately after granting admission, the transfer certificate should be canceled by stamping “Admission granted”.

4.3 Admission in the college will be valid only after depositing the prescribed fee. After admission, the original copy of the transfer certificate should be compulsorily canceled by putting a seal of cancellation on it.

4.4 If there is vacancy in the declared admission list after the last date of submission of fee, late fee of Rs 100/- will be charged extra for non-official item for admission in all the classes as per rules, however, in such cases, admission will not be allowed after 15 September.

4.5 Admission should not be granted on the basis of duplicate transfer certificate. In case of loss of transfer certificate, an FIR should be lodged by the student in the nearest police station. Admission can be granted only on receipt of the police station report and the authorized report from the previous admission institution which mentions the serial number and date of the original transfer certificate. For this, an undertaking should be taken from the student.

4.6 Along with issuing the transfer certificate, the Principal of the college will issue a confidential report regarding whether the concerned student is involved in ragging/indiscipline/sabotage etc. Such confidential report will be sealed in a sealed envelope and sent to the Principal of the college where the student has applied for admission.

4.7 The state government, hereby, provides exemption from tuition fees to the graduate level girl students studying in government colleges. So the above instruction should be followed.

5 **Eligibility for admission:-**

5.1 **Resident and Qualifying Examination:-**

(a) Original/permanent resident of Chhattisgarh, holder of permanent property in Chhattisgarh, State or Centre, Government employees, semi-government employees and employees of private limited companies, employees of nationalized banks and commercial organizations run by the Government of India whose posting is in Chhattisgarh. Only their sons/daughters and the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents will be given admission in government colleges. Even after giving admission as above, if there is vacancy in the seats, applicants who have passed the recognized board and qualifying examination of other states can be given admission on the basis of merit as per rules.

(b) From an affiliated university or from schools recognized by the affiliated university, only those applicants who pass the qualifying examination will be eligible for admission in the college.

(c) The applicant should be granted admission only after obtaining the eligibility certificate from the concerned university as per requirement.

5.2**Graduation level, regular admission:-**

(a) Applicants who have passed 10+2 examination are not eligible for regular admission in the first year of graduation. But applicants from Commerce and Arts faculty will not be given admission in Science faculty. A student who has passed B.Sc. (Home Science) first year from any faculty will be eligible for admission. Students who have passed 12 from vocational course only will be eligible for Art faculty. But if the student has studied commerce subject then he/she will be eligible for Commerce faculty. Similarly applicants who have passed from Agricultural stream will not be given admission in Science stream and BSc (Bio/Maths group).

(b) Applicants who have passed the first and second year examination at the graduation level will be eligible for regular admission in the second/third year of the same subjects respectively. There will be no eligibility for change of subject at the second graduation level.

5.3 **Post Graduate Level Regular Admission:-**

(a) B. Com./B.Sc.(Home Science)/B.A. Applicants who have passed graduation examination can get M.Com/M.Sc. respectively. Applicants who have passed B.Sc. (Home Science)/M.A. Previous /1st Sem and qualifying subjects are eligible for regular admission in M.Sc. /M.A.Previous.Only thoe student who have studied Geography in the undergraduate level will be admitted in first semester /MA Geography.In addition to the above, only the provisions /qualification mentioned in the respective ordinance of the concerned university will be binding.

(b) Applicants who have passed postgraduate first year will be eligible for regular admission in postgraduate second year of the same subject. Under the semester system, applicants who pass the pre-qualifying examination will be eligible for regular admission in the next semester.

(c) ATKT for postgraduate classes. (Allowed To Keep firms) Rules :-

1. It is mandatory for applicants who are eligible for provisional admission in the first semester of postgraduate to take provisional admission before the last date fixed for admission.

2 ATKT in Post Graduate Third Semester as per the (Allowed To Keep Terms) rules, eligible applicants will be eligible for provisional admission in the next semester.

5.4 **Law Faculty Regular Admission :-**

(a) Applicants who have passed the graduation examination will be eligible for regular admission in the first year of Bachelor of Laws.

(b) Applicants who have passed the Bachelor of Law examination will be eligible for Regular admission in first year L.L.M.

(c) L.L.B. First Semester and L.L.M. Applicants who have passed the first semester examination are eligible for L.L.B. Second Semester and L.L.M. Will be eligible for admission in second semester. Similarly, the same process of admission will be applicable in third, fourth and fifth semester also.

5.5 **Minimum marks limit in the qualifying examination for admission:-**

(a) The minimum marks limit for admission in the first year of Bachelor of Laws will be 45% (40% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste). And applicants who have obtained 55% marks (50% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste/OBC) in the first half of Post Graduation in Law will be eligible for regular admission.

5.6 The provisions of the concerned institution will be effective on admission/operation in the courses approved by AICTE NOTE BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA.

6. **Equivalent Examination-**

6.1 10+2 examinations of Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council for Secondary Education (ICSE) and schools/intermediate boards of other states are equivalent to 10+2Board of Secondary Education examination. Principals can obtain the list of recognized boards from the affiliated universities.

6.2 All the examinations of Universities located generally in India which are members of the Association of Universities are considered equivalent to the examinations of the University of Chhattisgarh. The examinations of such universities (except IGNOU) which conduct distance courses but do not have permission from the state government are not valid. As per the instructions of the University Grants Commission, New Delhi, any university or educational institution outside the state of Chhattisgarh is not allowed to open study centers/off campuses etc. in the state of Chhattisgarh and give admission/grant degrees to the students and degrees/diplomas from such institutions are not recognized as statutory, will not be formally valid.

6.3 The Principal should obtain from the Principal of the affiliated University the list of educational institutions of the University recognized by the affiliated University and the information about fake or unrecognized universities or educational institutions whose degrees are not valid, issued by the University Grants Commission from time to time.

6.4 Applicants passed under NVEQF (National Vocational Educational Qualification Framework) started in 2012 should be given equal priority compared to other general subjects for admission to undergraduate level courses in universities and colleges.

University commission grant semi-official ofLetterNo1-52/2013 (CC/NSQF) April, 2014 –

"As you are aware, the National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) has been amended by the Ministry of Human Resource Development in the National Skill Qualification Framework (NSQF) notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has incorporated all the important features formulated in NSQF. As notified in NSQF, it offers certificates from Level 1 to 10, including Level 5 to Level 10 certificates from higher education and certificates from Level 1 to Level 4 relate to the field of school education. Pursuant to the NVEQF, which was launched in 2012, courses were offered to students by some school boards

and under the NVEQF, students were awarded equivalent certificates. These students, under NSQAF level 4 will be able to complete 10+2 education with certified marks by the year 2014. The Ministry of Human Resource Development, Government of India has expressed apprehension that students who wish to take admission in any undergraduate course in universities and colleges and who had vocational subjects at 12 level will be at a disadvantage. Therefore, I request you that when students are trying to get admission in any other undergraduate courses in the university and college, then such subjects should be given equal priority compared to other general subjects, so that these students shall be provided opportunities for horizontal mobility."

7. **Admission of external applicants :-**

7.1 With the implementation of integrated curriculum in Graduate students B.A./B.Com./B.Sc./B.H.Sc. in Chhattisgarh, applicants who have passed the first/second year examination from any university/autonomous college of Chhattisgarh are eligible for admission in the second/third year respectively, but the applicants who have studied in the subjects/groups of subjects being taught in the affiliated university/autonomous college. Regular admission should be given only after checking whether the candidate has appeared in the previous examination. If necessary, eligibility certificate must be obtained from the university.

7.2 Applicants who have passed 1st/2nd graduation level examination from universities/autonomous colleges located outside Chhattisgarh, pre-post graduation examination from other universities/autonomous colleges or 1st, 2nd, 3rd semester examination and 1st/2nd year graduation level examination of law affiliated to them. Regular admission should be given in the next class of the same subjects/subject group only after submitting the eligibility certificate from the universities.

Students from outside the state will have to give an affidavit in the prescribed format. If any kind of false/incorrect information is found, the admission of the concerned student will be canceled and he will be denied admission in any university of the state. It is mandatory to get the documents submitted by applicants from other states certified by the concerned Board/University.

7.3 Self-study applicants in science and other practical subjects and former students of the college may be allowed by the Principal to do only practical work by charging the prescribed fee till 30th November, if there is a vacancy.

8**. It will be mandatory for the students who are eligible for temporary admission to take temporary admission before the last date fixed for admission: -**

8.1 Regular applicants who have appeared in supplementary examination (compartment) in 10+2 and first/second year examination of graduation will be eligible for provisional admission in case of vacancy in the next class.

8.2 In the Post Graduate semester, supplementary/ATKT applicants shall be eligible for provisional admission.

8.3 Applicants who have not completed the prescribed aggregate of 48 percent in the first and second year of law graduation or have obtained Supplementary will be eligible for provisional admission in the next class.

8.4 Applicants of Section 1 and 2 of Para 7 above will not be eligible for temporary admission.

8.5 If they fail in the supplementary examination, the temporary admission of the students who have received temporary admission will be cancelled. If passed, temporary admission will be recognized as regular admission.

9 Qualifications for Admission:-

9.1 In case of getting admission in any faculty of any college/university teaching department, students will not be eligible for regular admission again in the same class of the same faculty in the next year. If any student has not taken regular admission in the class applied for in the previous session, then such applicant will not be considered ineligible for regular admission, he will only have to produce the original transfer certificate and an affidavit certifying that he has not taken admission earlier. Admission will be given on that basis only as per rules.

9.2 Students against whom challan has been presented in the court or criminal cases are pending in the court with students/officers/employees in examination or in pre-session, the Principal is authorized to deny admission to students who have serious allegations of misbehavior/ assault and who have not shown improvement even after warning.

9.3 The Principal is authorized to cancel/deny admission to students accused of vandalizing the college and destroying college property. The Principal should constitute a committee for this and get the investigation done and the admission should be canceled on the basis of an investigation report. Such students should not be given admission in any government /non- government college of Chhattisgarh state

9.4 **Age limit for admission-**

(a) Applicants above 22 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first year of post graduation will not be eligible for admission. Age will be calculated as of July of the applied year. The maximum age limit for admission in Diploma and Post graduate Diploma will be 27 years. The age limit for B.P.Ed and M.P.Ed will be 25 and 28 years.

(b)Restriction of age limit will not be applicable for candidates sponsored and recommended by state government /ministry/office of the government of India and the institution controlled by them, students sent for studying abroad by Indian government or any foreign government and students studying in payment seat in foreign currency.

(c) The provision of maximum age limit for admission in law stream is abolished.

(d) For admission in Sanskrit Mahavidyalaya, applicants above 25 years of age in the first year of graduation and 27 years in the first semester of pre-graduation will be eligible for admission.

(e) There will be a relaxation of 3 years in the age limit for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Backward and/Women applicants except Law Faculty. There will be a relaxation of 5 years in the age limit for disabled candidates.

9.5 A full-time government/non-government employee will not be eligible for regular admission in the college during his/her daily working hours. If the applicant applies for admission in a college after the daily duty period, admission will be given only after the applicant presents no-objection certificates from the employer.

9.6 Students who have completed graduation degree in any faculty will not be eligible for regular admission in the courses of any other faculty.

10.**Determination of order for admission:-**

10.1 If there are more applicants than the available places, admission will be done in the following order.

(a) Marks and percentage of qualifying examination for admission to undergraduate and postgraduate classes. If payable, then on the basis of total percentage marks obtained by adding surcharge and

(b) There should be a provision for entrance examination in the affiliated university in the first year of law graduation as per the criteria set by the University.

10.2 Separate merit lists will be prepared for unreserved and reserved categories.

11. **Priority for admission :-**

11.1 Basis of preference in first year Undergraduate/Postgraduate/Law classes, qualifying examination Passed regular/ex-regular candidates/self-study candidates will be placed according to the number of passed students.

11.2 The basis of priority in the next graduation/post graduation classes will be in the order of regular/self-study students of the previous session passed in the qualifying examination/ex-regular passed/supplement received in one subject.

11.3 Admission in the law stream for the next classes shall be first for the students who have passed the examination but students obtaining 48 aggregate shall be given preference, otherwise the order would be the same.

11.4 If there is no facility for study, they will be given admission on order basis. If seats remain vacant and they come in sequence, students from the entire state will be eligible for admission in the entire state.

11.5 But the above provision will not be applicable for autonomous colleges, a student who has passed the postgraduate examination of one subject can be given admission in the postgraduate class of another subject only if there is a vacancy in the college.

12. **Reservation will be as per the reservation policy of Chhattisgarh Government as given below:-**

12.1Reservation of seats in admission in each academic session and its extension in any educational institution will be in the following manner, namely:

> (a) Thirty-two percent of the annual permitted strength in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Tribes.
>
> (b) Twelve percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Castes.
>
> (c) Fourteen percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Other Backward Classes.Provided that, where the seats reserved for Scheduled Tribes remain vacant on the closing date(s) due to non-availability of eligible students, the same shall be filled from among the eligible students from the Scheduled Castes and vice versa.

Provided further that notwithstanding the provisions specified in the foregoing proviso, if the seats reserved under clause(a), (b) and (c) remain vacant on the closing dates, they will be filled from other eligible students.

12.2

(1) Reservation of seats available under clauses (a), (b) and (c) of point A. 12.1 will be determined vertically.

(2) The percentage of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women, ex-servicemen/ex-servicemen, children of freedom fighters or other special categories of persons shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time for the purposes of this Act be notified and this point is mentioned in clause (a) of 12.1. (b) and (c), as the case may be, shall be within the vertical reservation.

12.3 3 percent seats will be reserved for the sons and daughters of freedom fighters. 5 percent seats will be reserved for disabled category applicants.

12.4 Out of the available seats in all classes, 30 percent will be reserved for girl students.

12.5 If a candidate of reserved category is kept in the merit list as per rules in unreserved category open competition due to getting more marks, then the seats of reserved category will remain unaffected, but if such student belongs to any cadre like freedom fighter etc. If the seat in the cadre is also in that category, then this seat will be considered filled in that reserved category, the seats of the remaining cadre will be considered filled.

12.6 If the percentage of reserved space is less than 1/2 then the reserved space will not be available. If it falls between 1/2 per cent and 1 per cent then the number of reserved space will be one.

12.7 Jammu and Kashmir displaced people and their dependents should be given admission by increasing the seats by 5 percent and 10 percent relaxation will be given in the minimum marks.

12.8 Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.

12.9 The provisions of reservation shown in paragraph 12.1 will be subject to the decision of the Honorable High Court Bilaspur.

12:10 This instruction has been given in paragraph 129 (3) of the decision dated 15.04.2014 passed by the Honorable Supreme Court in this regard to the transgender people in the case number: WP (C) 400/2012 National Legal Services Authority vs. Government of India and others. Provided that "We direct the Center and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," should be strictly followed.

13 Weightage:-

Weightage will be given only for determining the ranking, it will not be used for attaining eligibility.Weightage will be given only on the percentage of marks obtained in the qualifying examination. It is mandatory to attach all the certificates for weightage with the admission application form. The certificates brought/submitted later after the application form will not be considered for weightage, if more than one weightage is received, only the highest weightage will be given.

13.1 NCC/NSS/Scouts

The word Scouts should be read in the meaning of Scouts/Guides/Rangers/Rovers.

(a) NSS/NCC. "A" Certificate	02 percent
(b) Scouts who have passed NSS/NCC “B” Certificate and Second Step.	03 percent
(c) Scouts passing “C” Certificate or Third Step.	04 percent
(d) Students representing the group in the state	04 percent
(e) NCC under level directorate. Competition	05percent
(f) NCC/NSS of Chhattisgarh in the Republic Day Parade in New Delhi. To the student participating in cutting edge	05percent
(g) Governor Scouts	10percent
(h) President Scouts	10percent
(i) Best NCC Candidate of Chhattisgarh	10percent
(j) Cadets selected for NCC/NSS and migrating cadets participating in Youth Exchange Program between India and other countries. Students who have been selected for the International Jamboree.	15 percent

13.2Students who have passed honours curriculum subject course, Post Graduation taking admission in the post graduate classes in the same subject. 10 percent

13.3 Sports/Literary/Cultural/Divas/Design Competitions -

(1) In district divisional level competitions organized by Directorate of Public Instruction or Chhattisgarh Higher Education Department or inter divisional/level competition organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan.03 percent

(a) Every member of the committee who got first, second or third place02 percent

(b) To the person securing the above position in the individual competition04 percent

(2) In the inter-regional national competition organized by the State level or Kendriya Vidyalaya Sangathan organized by the Department/Directorate mentioned in the above paragraph 13.3 (1) or by the Association of Indian Universities (AIU). In the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India or in the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India.

(a) Every member of the team who got first, second and third place 06 percent

(b) To the person who got the above position in the individual competition07 percent

(c) The contestant representing the division/area 05 percent

(3) In national competitions organized by the Association of Indian Universities, organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India -

(a) To those who get first, second, third place in individual competition15 percent

(b) To the members of the team securing first, second or third place 12 percent

(c) to the contestant representing the area 10 percent

13.4 To the members of the selected and visiting group in the field of artScience/Cultural/Literary/under Youth or Science and Cultural Exchange Program between India and other nations 10 percent

13.5 Chhattisgarh Government M.P. In national competitions organized by recognized sports associations: -

(a) To the members representing the team of Chhattisgarh/M.P. 10 percent

(b) To the members who obtained first, second and third place in Chhattisgarh's team 12 percent

13.6 To the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents01 percent

13.7 Special Incentive:-

To promote NCC/sports in the interest of Chhattisgarh state and college, the best cadets of NCC at national level will participate in Olympiad/Asiad/sports competitions organized by Sports Authority of India at national and international level. Child students should be given direct admission in the classes for which they are eligible in the upcoming academic session without any ranking.

(1) Such certificates will be sent to Questionnaire, Sports and Youth Welfare, Government of Chhattisgarh.

(2) This facility will be available only to those candidates who have submitted their representation to the college within the prescribed time period. But to receive this type of facility second time, they will need to retrieve the achievement.

13.8 For admission in the first year, certificates of up to the last four academic sessions at school level will be considered for weightage. For admission in the first year of postgraduate or law, certificates of up to the last three academic sessions will be considered for weightage. Certificates of previous session will be valid for weightage for admission in second, third year of graduation and second year of post-graduation.

14 Faculty / Subject / Group Change :-

In the first year of graduation/post graduation, the rank of order for the students who take admission by changing the faculty/subject/group of the qualifying examination will be determined by deducting 5 percent from their marks, weightage will be given on the reduced marks. After taking admission once in the first year of graduation/post graduation in the college, change of faculty/subject/group during the current session is permitted by the college campus till 30th September or in case of delay in main examination result, from the last date of admission mentioned in clause 2.2. It will be given for 15 days only. This permission will be given only to those students whose marks are equal to or more than the students who got admission in the original merit list of the concerned subject/faculty.

15. Research student:-

Research students of PhD in government colleges will be given admission for two years. In case the library/practical work remains incomplete, the principal will be able to extend this time period to a maximum of 4 years on the recommendation of the supervisor. Students will apply in the prescribed application form. Regular admission will be granted only after depositing the prescribed fee after admission. For research students, the recognized professor supervisor posted in the college for PhD direction

by the concerned university will carry out his/her work only as per the rules laid down by the university. If a teacher is working as a research student after taking study leave, then the approval will be given by the competent authority. The salary of the teacher will be drawn by the salary drawing officer only after receiving the attendance certificate and work progression report for three months.

In case of transfer of the professor supervisor posted in the college, the research students can continue their research work in the institution from where their research applications were forwarded. After the completion of the research work, the management of the research work will be done and forwarded by the principals of the colleges. To be read and applicable along with the Research ordinance of the concerned university.

16. Note : -

16.1 Fake certificate: If an applicant has got admission due to wrong information, deliberately hidden adverse facts, administrative or official carelessness, then the full responsibility for cancellation of such admission will be on the applicant.

16.2 The Principal will have the right to cancel the admission of a student who remains absent continuously for one month or more without any proper reason, prior permission or information after taking admission.

16.3 After admission, during the session, the Principal will have the right to cancel the admission or expel the student involved in the cases of indiscipline mentioned in paragraphs 9.2 and 9.3.

16.4 In case the student leaves the college during the session after admission or his admission is canceled or expelled, no fee other than the reserved fund will be refunded to the student.

16.5 If there is a need for clarification of the guiding principles of admission or guidance in any matter related to admission, the Principal will compulsorily give clear comments and opinions in the matter and obtain clarification/guidance from the Commissioner of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. No matter should not be sent only by writing forward.

16.6 The authority to interpret the provisions mentioned in these guiding principles rests with the Commissioner, Higher Education Department. Chhattisgarh

Government Higher Education Department, Ministry will have the full right to change/amend/repeal/add these guiding principles from time to time.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक),0771-2262540 (कुलसचिव),फैक्स-0771-2262810, 2262607, ई-मेल: [illegible]

क्रमांक 1851/अका./2022 रायपुर, दिनांक 18.06.2022

प्रति,

1. **अध्यक्ष / संचालक**
   समस्त अध्ययनशाला / संस्थान
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर

2. **प्राचार्य**
   संबद्ध समस्त महाविद्यालय
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर

विषय :— प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 का प्रेषण।

संदर्भ:— अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 2935 / 760 / आउशि / समं. / 2022 दिनांक 07.06.2022

महोदय / महोदया

लेख है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया अपने महाविद्यालय / अध्ययनशाला के समस्त शिक्षकों / कर्मचारियों को इससे अवगत कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 मे दिए गए प्रावधानों का **अक्षरशः कड़ाई से पालन** करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार कुल 16 पृष्ठ।

आदेशानुसार,

16/6/22

कुलसचिव

पृ. क्र. 1852/अका./2022 रायपुर, दिनांक 18.06.2022

प्रतिलिपि :—

1. उप कुलसचिव परीक्षा / सामा.प्रशा. / सहायक कुलसचिव गोपनीय विभाग
2. नामांकन / उपाधि प्रकोष्ठ / अधिष्ठाता छात्र कल्याण / वित्त नियंत्रक
3. संचालक, महाविद्यालय, विकास परिषद
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

16.6.22

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 2053/760/आउशि/समं./2022 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/06/2022

प्रति

1. कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय,छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

संदर्भ :— अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–96/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.06.2022।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

7.6.2022
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2054/760/आउशि/ समं/2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03/06/2022

प्रतिलिपि –

1. अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।

7.6.2022
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

C:\users\acer\desktop\desktop\...\27-10-2021\letter ... 2020 (25-03-21)\letter 05-12-2020.docx

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला--रायपुर
------00---------

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 01/6/2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भ– आपका प्रस्ताव क्रमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05.2022

-----00-------

विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/35-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2022–23

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022–23

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2 **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालय के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जावेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जावेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

1 स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (अ) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं अधिक का

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने की स्थिति में भी प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :–

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म मे प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.ई. आई.सी.एस.ई. के ऐसे आवेदक जिनको संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नही करा रहें है ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढ़ा जाए।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा मे प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) मे जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानान्तरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना –** विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं यथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष (*व पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.*) की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. **प्रवेश सूची :–**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जावे।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***20 अगस्त*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जावे।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रवेश की पात्रता :–

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी सपंत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों मे प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय मे प्रवेश की पात्रता होगी। परन्तु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयो से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नही होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदको को एम.एस–सी/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति मे संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैंपस

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नही है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीपी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार :-

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर मे व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयो को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को लैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो उसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 *<u>स्नातक</u> स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (डिपार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा, उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 किसी भी महाविद्यालय/**विश्वविद्यालय** शिक्षण **विभाग** के **किसी** संकाय में **प्रवेश** प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी **संकाय की** उसी **कक्षा** में <u>आगामी वर्ष</u>/वर्षों में **पुनः नियमित** प्रवेश **की पात्रता नहीं होगी**। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अपात्र नहीं माना जायेगा, उसे मात्र पूर्व

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक अथवा पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

11.3 विधि स्नातक की अगली कक्षाओं में पूर्व छात्रों को पहले उत्तीर्ण, परन्तु कम प्रतिशत प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा। –

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी अथवा कम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की वह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय- समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण- पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण- पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ड़)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्ट में भाग लेने	05 प्रतिशत

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

वाले विद्यार्थी को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(ञ) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(ट) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 अन्तर्स्नातक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / — 10 प्रतिशत

उक्त क्षेत्र में चयनित एवं प्रचार करने वाले दल के सदस्यों को

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा इनको प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किए जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

अवर सचिव (signature)
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

15 **शोध छात्र :–**

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे. प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 **विशेष :–**

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सुरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/विलोपन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Office of the Commissioner, Higher Education

Block-C-3 Second and Third Floor Indravati Bhawan,

Atal Nagar, Raipur (Chhattisgarh)

No./2935/760/CHE/Coordination/2022 Atal Nagar Raipur, dated 07/06/2022

Copy,

1. Registrar,
   All Universities,
   Chhattisgarh

2. Principals,
   All Leading Colleges,
   Chhattisgarh

Subject: - Principles of admission guidelines for the session 2022-23 for educational institutions of Chhattisgarh.

Reference: - Under Secretary Chhattisgarh. Government Higher Education Department's letter number 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur, dated 06.06.22

The above mentioned article is that Chhattisgarh. Admission guidelines for the session 2022-23 have been issued for the educational institutions of Chhattisgarh state by the referred letter of the Higher Education Department. A copy of the Admission Guide Principles 2022-23is enclosed.

Please ensure that you strictly follow the provisions given in the Admission Guide Principles 2022-23by providing a photocopy of the letter to yourself and all the government/non-government colleges under you.

Attached - as above

Additional Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Page No./2936/760/CHE/Coordination/2022 Raipur, dated 07/7/2022

Copy :-

1. Under Secretary Chhattisgarh. For information regarding the letter referred to the Government, Higher Education Department. For information towards

2. Regional Additional Director, Regional Office, Higher Education Raipur / Bilaspur / Jagdalpur / Ambikapur / Durg.

Additional Director
Directorate of Higher Education,
Atal Nagar Raipur (Chhattisgarh)

Chhattisgarh Government
Higher Education Department
Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar
District-Raipur

S.No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar, Raipur Dated 06-06-2022

To,

The Commissioner,
Directorate of Higher Education,
Indravati Bhawan,
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.

Subject :- Regarding preparing the admission guidelines for the educational institutions of Chhattisgarh for the session 2022-23.

Reference :- Your memorandum number 2917/760/761/CHE/CO./2022, dated 31.05. 2022

Please see the proposal referred under the subject.

A copy of the approved admission guidelines for the academic session 2022-23 of the educational institutions run under the Higher Education Department of the state is sent here.

Please provide a copy of the guide to all concerned institutions and direct them to strictly follow the provisions given in the guide.

Attachment :- As above.

(A. R. Khan)
Under Secretary
Chhattisgarh Government,
Higher Education Department

No. F 17-95/2017/38-2 Atal Nagar Raipur

Copy to

1. Special Assistant, Honorable Minister, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.
2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Higher Education Department, Ministry, Naya Raipur Atal Nagar, Raipur and forwarded for information.
3. Special Duty Officer, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, Ministry, NavaRaipur Atal Nagar, Raipur.
4. Guard File.

Under Secretary
ChhattisgarhGovernment,Higher

EducationDepartment

Chhattisgarh Government

Higher Education Department

Guiding Principles for Admission in Undergraduate and Postgraduate Classes of Government/Non-Government Colleges of Chhattisgarh

Session 2022-23

1. **Use :-**

1.1 These guiding principles will be applicable in all the government/non-government colleges of Chhattisgarh, read with the provisions of Ordinance No. 6 and 7 under Chhattisgarh University Act-1973 and all the principals will ensure their compliance.

1.2 Government and non-government colleges will have to strictly follow the rules of admission. "Entry means the first year or first semester of the undergraduate class and the first or first semester of the post-graduate class.

2. **Date of admission :-**

2.1 **Submission of application form for admission:-**

This year online form will be submitted for admission at the university level. The colleges for which forms are submitted will be sent to that college. From the application received online, the Principal will grant admission based on rules and guidelines received from the Government.

A. If due to unavoidable reasons the application has to be submitted offline, then the application form prescribed by the principal for admission in the college will be submitted by the student along with the certificate to the college by the prescribed date.

B. In case the mark sheet is not provided by the Board/University for admission, applications should be submitted without the mark sheet after getting certified by the concerned Principal of the previous institution.

2.2 **Setting the last date for admission:-**

In case of late declaration of results, the last date of admission will be valid till 10 days from the date of receipt of the examination result in the college or till 15 days from the date of declaration of the examination result by the University/Board, whichever is earlier. Mentioned in paragraph 5.1 (a), on transfer of employees, their sons and daughters seeking

admission after the last date of admission should be given admission during the session only if the place is vacant, but for this, proof of joining by the employee is required - Admission will be granted only if the letter is submitted and the applicant gets admission in another college before the last date fixed for admission.

Special remark –

In the admission process for session 2022-23 for CBSE/ICSE board and other boards who's result has been not declared, such applicant will upload the photocopy of the mark sheet obtained in the first term examination conducted by the concern board after getting it signed by the principal of the school. Those applicant of CBSE/ICSE board who are not providing counter signed sheets by the concerned school will upload the undertaking with their own/parent's signature. If the undertaking found to be false, the admission of the admitted student will automatically cancel.

Explanation:-

Applicant "A" had taken admission in a class as per rules in a college at some other place (A). After that, his guardian got transferred to place "B", now he wants to take admission in a college of this place (B), he will be given admission only if there is a vacancy. The applicant "B" did not take admission in college where his father was posted but as soon as his father was transferred,(B) wants to take admission in some college. So now the deadline for admission Applicant (B) cannot be given admission after the date has passed.

2.3 **Fixing the last date of admission for the students passed in revaluation:-**

Students who have passed the revaluation of other Faculties other than the Faculty of Law will be eligible for admission if they fall in the merit list after the permission of the Vice Chancellor of the concerned University, within 15 days of the declaration of the results of the revaluation. But even if there is eligibility for admission in the classes of Law Faculty on the basis of merit, admission will be given only if there is vacancy in the college. Students who have passed revaluation in class 12th will also be eligible for regular admission if seats become vacant.

3. Determination of admission number :-

3.1 Based on the resources available in the colleges and seating arrangements in the classrooms, equipment available in the laboratory/usable materials and availability of staff etc., students will be given admission for different classes as per the student number (seats) given earlier. If Principal want to increase the number of seats for admission in College, then he should send its proposal to the Directorate of Higher Education by 30th April and

“admission will be done as per the increased seats only after getting permission from the Directorate of Higher Education/Higher Education Department."

3.2 According to the criteria set by the Bar Council, only a maximum of 60 students should be given admission per section (minimum 2 sections and maximum 5 sections) in the first, second and third year classes of Law Graduation on the basis of merit.

3.3 The subject/subject group of teaching has been determined for each class by the affiliated university/autonomous college. Principals will give admission to the applicants in each class as per the prescribed admission number in the same prescribed subject group in their colleges.

4. **Admission List:-**

4.1 While giving information about the last date fixed for depositing the admission fee, the principal will put up on the notice board the list of marks obtained in the qualifying examination of the students selected for admission and the total marks obtained by paying surcharge where surcharge is payable, along with the percentage marks.

4.2 Permission to deposit the admission fee will be given only after the copies of the necessary attached certificates are certified by the admission committee by matching them with the original certificates and the original copy of the transfer certificate is submitted. Immediately after granting admission, the transfer certificate should be canceled by stamping “Admission granted”.

4.3 Admission in the college will be valid only after depositing the prescribed fee. After admission, the original copy of the transfer certificate should be compulsorily canceled by putting a seal of cancellation on it.

4.4 If there is vacancy in the declared admission list after the last date of submission of fee, late fee of Rs 100/- will be charged extra for non-official item for admission in all the classes as per rules, however, in such cases, admission will not be allowed after 15 September.

4.5 Admission should not be granted on the basis of duplicate transfer certificate. In case of loss of transfer certificate, an FIR should be lodged by the student in the nearest police station. Admission can be granted only on receipt of the police station report and the authorized report from the previous admission institution which mentions the serial number and date of the original transfer certificate. For this, an undertaking should be taken from the student.

4.6 Along with issuing the transfer certificate, the Principal of the college will issue a confidential report regarding whether the concerned student is involved in ragging/indiscipline/sabotage etc. Such confidential report will be sealed in a sealed envelope and sent to the Principal of the college where the student has applied for admission.

4.7 The state government, hereby, provides exemption from tuition fees to the graduate level girl students studying in government colleges. So the above instruction should be followed.

5 **Eligibility for admission:-**

5.1 **Resident and Qualifying Examination:-**

(a) Original/permanent resident of Chhattisgarh, holder of permanent property in Chhattisgarh, State or Centre, Government employees, semi-government employees and employees of private limited companies, employees of nationalized banks and commercial organizations run by the Government of India whose posting is in Chhattisgarh. Only their sons/daughters and the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents will be given admission in government colleges. Even after giving admission as above, if there is vacancy in the seats, applicants who have passed the recognized board and qualifying examination of other states can be given admission on the basis of merit as per rules.

(b) From an affiliated university or from schools recognized by the affiliated university, only those applicants who pass the qualifying examination will be eligible for admission in the college.

(c) The applicant should be granted admission only after obtaining the eligibility certificate from the concerned university as per requirement.

5.2**Graduation level, regular admission:-**

(a) Applicants who have passed 10+2 examination are not eligible for regular admission in the first year of graduation. But applicants from Commerce and Arts faculty will not be given admission in Science faculty. A student who has passed B.Sc. (Home Science) first year from any faculty will be eligible for admission. Students who have passed 12 from vocational course only will be eligible for Art faculty. But if the student has studied commerce subject then he/she will be eligible for Commerce faculty. Similarly applicants who have passed from Agricultural stream will not be given admission in Science stream and BSc (Bio/Maths group).

(b) Applicants who have passed the first and second year examination at the graduation level will be eligible for regular admission in the second/third year of the same subjects

respectively. There will be no eligibility for change of subject at the second graduation level.

5.3 **Post Graduate Level Regular Admission:-**

(a) B. Com./B.Sc.(Home Science)/B.A. Applicants who have passed graduation examination can get M.Com/M.Sc. respectively. Applicants who have passed B.Sc. (Home Science)/M.A. Previous /1st Sem and qualifying subjects are eligible for regular admission in M.Sc. /M.A. Previous. Only the student who have studied Geography in the undergraduate level will be admitted in first semester /MA Geography. In addition to the above, only the provisions /qualification mentioned in the respective ordinance of the concerned university will be binding.

(b) Applicants who have passed postgraduate first year will be eligible for regular admission in postgraduate second year of the same subject. Under the semester system, applicants who pass the pre-qualifying examination will be eligible for regular admission in the next semester.

(c) ATKT for postgraduate classes. (Allowed To Keep firms) Rules :-

1. It is mandatory for applicants who are eligible for provisional admission in the first semester of postgraduate to take provisional admission before the last date fixed for admission.

2 ATKT in Post Graduate Third Semester as per the (Allowed To Keep Terms) rules, eligible applicants will be eligible for provisional admission in the next semester.

5.4 **Law Faculty Regular Admission :-**

(a) Applicants who have passed the graduation examination will be eligible for regular admission in the first year of Bachelor of Laws.

(b) Applicants who have passed the Bachelor of Law examination will be eligible for Regular admission in first year L.L.M.

(c) L.L.B. First Semester and L.L.M. Applicants who have passed the first semester examination are eligible for L.L.B. Second Semester and L.L.M. Will be eligible for admission in second semester. Similarly, the same process of admission will be applicable in third, fourth and fifth semester also.

5.5 **Minimum marks limit in the qualifying examination for admission:-**

(a) The minimum marks limit for admission in the first year of Bachelor of Laws will be 45% (40% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste). And applicants who have obtained 55%

marks (50% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste/OBC) in the first half of Post Graduation in Law will be eligible for regular admission.

5.6 The provisions of the concerned institution will be effective on admission/operation in the courses approved by AICTE NOTE BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA.

6. **Equivalent Examination-**

6.1 10+2 examinations of Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council for Secondary Education (ICSE) and schools/intermediate boards of other states are equivalent to 10+2Board of Secondary Education examination. Principals can obtain the list of recognized boards from the affiliated universities.

6.2 All the examinations of Universities located generally in India which are members of the Association of Universities are considered equivalent to the examinations of the University of Chhattisgarh. The examinations of such universities (except IGNOU) which conduct distance courses but do not have permission from the state government are not valid. As per the instructions of the University Grants Commission, New Delhi, any university or educational institution outside the state of Chhattisgarh is not allowed to open study centers/off campuses etc. in the state of Chhattisgarh and give admission/grant degrees to the students and degrees/diplomas from such institutions are not recognized as statutory, will not be formally valid.

6.3 The Principal should obtain from the Principal of the affiliated University the list of educational institutions of the University recognized by the affiliated University and the information about fake or unrecognized universities or educational institutions whose degrees are not valid, issued by the University Grants Commission from time to time.

6.4 Applicants passed under NVEQF (National Vocational Educational Qualification Framework) started in 2012 should be given equal priority compared to other general subjects for admission to undergraduate level courses in universities and colleges.

University commission grant semi-official ofLetterNo1-52/2013 (CC/NSQF) April, 2014 –

"As you are aware, the National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) has been amended by the Ministry of Human Resource Development in the National Skill Qualification Framework (NSQF) notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has incorporated all the important features formulated in NSQF. As notified in NSQF, it offers certificates from Level 1 to 10, including Level 5 to Level 10 certificates from higher education and certificates from Level 1 to Level 4 relate to the field of school education. Pursuant to the NVEQF, which was launched in 2012,

courses were offered to students by some school boards and under the NVEQF, students were awarded equivalent certificates. These students, under NSQAF level 4 will be able to complete 10+2 education with certified marks by the year 2014. The Ministry of Human Resource Development, Government of India has expressed apprehension that students who wish to take admission in any undergraduate course in universities and colleges and who had vocational subjects at 12 level will be at a disadvantage. Therefore, I request you that when students are trying to get admission in any other undergraduate courses in the university and college, then such subjects should be given equal priority compared to other general subjects, so that these students shall be provided opportunities for horizontal mobility."

7. **Admission of external applicants :-**

7.1 With the implementation of integrated curriculum in Graduate students B.A./B.Com./B.Sc./B.H.Sc. in Chhattisgarh, applicants who have passed the first/second year examination from any university/autonomous college of Chhattisgarh are eligible for admission in the second/third year respectively, but the applicants who have studied in the subjects/groups of subjects being taught in the affiliated university/autonomous college. Regular admission should be given only after checking whether the candidate has appeared in the previous examination. If necessary, eligibility certificate must be obtained from the university.

7.2 Applicants who have passed 1st/2nd graduation level examination from universities/autonomous colleges located outside Chhattisgarh, pre-post graduation examination from other universities/autonomous colleges or 1st, 2nd, 3rd semester examination and 1st/2nd year graduation level examination of law affiliated to them. Regular admission should be given in the next class of the same subjects/subject group only after submitting the eligibility certificate from the universities.

Students from outside the state will have to give an affidavit in the prescribed format. If any kind of false/incorrect information is found, the admission of the concerned student will be canceled and he will be denied admission in any university of the state. It is mandatory to get the documents submitted by applicants from other states certified by the concerned Board/University.

7.3 Self-study applicants in science and other practical subjects and former students of the college may be allowed by the Principal to do only practical work by charging the prescribed fee till 30th November, if there is a vacancy.

8**. It will be mandatory for the students who are eligible for temporary admission to take temporary admission before the last date fixed for admission: -**

8.1 Regular applicants who have appeared in supplementary examination (compartment) in 10+2 and first/second year examination of graduation will be eligible for provisional admission in case of vacancy in the next class.

8.2 In the Post Graduate semester, supplementary/ATKT applicants shall be eligible for provisional admission.

8.3 Applicants who have not completed the prescribed aggregate of 48 percent in the first and second year of law graduation or have obtained Supplementary will be eligible for provisional admission in the next class.

8.4 Applicants of Section 1 and 2 of Para 7 above will not be eligible for temporary admission.

8.5 If they fail in the supplementary examination, the temporary admission of the students who have received temporary admission will be cancelled. If passed, temporary admission will be recognized as regular admission.

9. Qualifications for Admission:-

9.1 In case of getting admission in any faculty of any college/university teaching department, students will not be eligible for regular admission again in the same class of the same faculty in the next year. If any student has not taken regular admission in the class applied for in the previous session, then such applicant will not be considered ineligible for regular admission, he will only have to produce the original transfer certificate and an affidavit certifying that he has not taken admission earlier. Admission will be given on that basis only as per rules.

9.2 Students against whom challan has been presented in the court or criminal cases are pending in the court with students/officers/employees in examination or in pre-session, the Principal is authorized to deny admission to students who have serious allegations of misbehavior/ assault and who have not shown improvement even after warning.

9.3 The Principal is authorized to cancel/deny admission to students accused of vandalizing the college and destroying college property. The Principal should constitute a committee for this and get the investigation done and the admission should be canceled on the basis of an investigation report. Such students should not be given admission in any government /non- government college of Chhattisgarh state

9.4 **Age limit for admission-**

The age limit in all the classes and courses has been abolished by the government , higher education department letter no.17-95/2017/38-2 dated 15.08.2021

9.5 A full-time government/non-government employee will not be eligible for regular admission in the college during his/her daily working hours. If the applicant applies for admission in a college after the daily duty period, admission will be given only after the applicant presents no-objection certificates from the employer.

9.6 Students who have completed graduation degree in any faculty will not be eligible for regular admission in the courses of any other faculty.

10.**Determination of order for admission:-**

10.1 If there are more applicants than the available places, admission will be done in the following order.

(a) Marks and percentage of qualifying examination for admission to undergraduate and postgraduate classes. If payable, then on the basis of total percentage marks obtained by adding surcharge and

(b) There should be a provision for entrance examination in the affiliated university in the first year of law graduation as per the criteria set by the University.

10.2 Separate merit lists will be prepared for unreserved and reserved categories.

11. **Priority for admission :-**

11.1 Basis of preference in first year Undergraduate/Postgraduate/Law classes, qualifying examination Passed regular/ex-regular candidates/self-study candidates will be placed according to the number of passed students.

11.2 The basis of priority in the next graduation/post graduation classes will be in the order of regular/self-study students of the previous session passed in the qualifying examination/ex-regular passed/supplement received in one subject.

11.3 Admission in the law stream for the next classes shall be first for the students who have passed the examination but students obtaining 48 aggregate shall be given preference, otherwise the order would be the same.

11.4 If there is no facility for study, they will be given admission on order basis. If seats remain vacant and they come in sequence, students from the entire state will be eligible for admission in the entire state.

11.5 But the above provision will not be applicable for autonomous colleges, a student who has passed the postgraduate examination of one subject can be given admission in the postgraduate class of another subject only if there is a vacancy in the college.

12. **Reservation will be as per the reservation policy of Chhattisgarh Government as given below:-**

12.1Reservation of seats in admission in each academic session and its extension in any educational institution will be in the following manner, namely:

(a) Thirty-two percent of the annual permitted strength in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Tribes.

(b) Twelve percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Castes.

(c) Fourteen percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Other Backward Classes.Provided that, where the seats reserved for Scheduled Tribes remain vacant on the closing date(s) due to non-availability of eligible students, the same shall be filled from among the eligible students from the Scheduled Castes and vice versa.

Provided further that notwithstanding the provisions specified in the foregoing proviso, if the seats reserved under clause(a), (b) and (c) remain vacant on the closing dates, they will be filled from other eligible students.

12.2

(1) Reservation of seats available under clauses (a), (b) and (c) of point A. 12.1 will be determined vertically.

(2) The percentage of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women, ex-servicemen/ex-servicemen, children of freedom fighters or other special categories of persons shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time for the purposes of this Act be notified and this point is mentioned in clause (a) of 12.1. (b) and (c), as the case may be, shall be within the vertical reservation.

12.3 3 percent seats will be reserved for the sons and daughters of freedom fighters. 5 percent seats will be reserved for disabled category applicants.

12.4 Out of the available seats in all classes, 30 percent will be reserved for girl students.

12.5 If a candidate of reserved category is kept in the merit list as per rules in unreserved category open competition due to getting more marks, then the seats of reserved category will remain unaffected, but if such student belongs to any cadre like freedom fighter etc. If

the seat in the cadre is also in that category, then this seat will be considered filled in that reserved category, the seats of the remaining cadre will be considered filled.

12.6 If the percentage of reserved space is less than 1/2 then the reserved space will not be available. If it falls between 1/2 per cent and 1 per cent then the number of reserved space will be one.

12.7 Jammu and Kashmir displaced people and their dependents should be given admission by increasing the seats by 5 percent and 10 percent relaxation will be given in the minimum marks.

12.8 Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.

12.9 The provisions of reservation shown in paragraph 12.1 will be subject to the decision of the Honorable High Court Bilaspur.

12:10 This instruction has been given in paragraph 129 (3) of the decision dated 15.04.2014 passed by the Honorable Supreme Court in this regard to the transgender people in the case number: WP (C) 400/2012 National Legal Services Authority vs. Government of India and others. Provided that "We direct the Center and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," should be strictly followed.

13 Weightage:-

Weightage will be given only for determining the ranking, it will not be used for attaining eligibility. Weightage will be given only on the percentage of marks obtained in the qualifying examination. It is mandatory to attach all the certificates for weightage with the admission application form. The certificates brought/submitted later after the application form will not be considered for weightage, if more than one weightage is received, only the highest weightage will be given.

13.1 NCC/NSS/Scouts

The word Scouts should be read in the meaning of Scouts/Guides/Rangers/Rovers.

(a) NSS/NCC. "A" Certificate	02 percent
(b) Scouts who have passed NSS/NCC “B” Certificate and Second Step.	03 percent
(c) Scouts passing “C” Certificate or Third Step.	04 percent
(d) Students representing the group in the state	04 percent
(e) NCC under level directorate. Competition	05percent
(f) NCC/NSS of Chhattisgarh in the Republic Day Parade in	05percent

New Delhi. To the student participating in cutting edge

(g) Governor Scouts	10percent
(h) President Scouts	10percent
(i) Best NCC Candidate of Chhattisgarh	10percent
(j) Cadets selected for NCC/NSS and migrating cadets participating in Youth Exchange Program between India and other countries. Students who have been selected for the International Jamboree.	15 percent

13.2Students who have passed honours curriculum subject course, Post Graduation taking admission in the post graduate classes in the same subject. 10 percent

13.3 Sports/Literary/Cultural/Divas/Design Competitions -

(1) In district divisional level competitions organized by Directorate of Public Instruction or Chhattisgarh Higher Education Department or inter divisional/level competition organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan.03 percent

(a) Every member of the committee who got first, second or third place02 percent

(b) To the person securing the above position in the individual competition04 percent

(2) In the inter-regional national competition organized by the State level or Kendriya Vidyalaya Sangathan organized by the Department/Directorate mentioned in the above paragraph 13.3 (1) or by the Association of Indian Universities (AIU). In the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India or in the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India.

(a) Every member of the team who got first, second and third place 06 percent

(b) To the person who got the above position in the individual competition07 percent

(c) The contestant representing the division/area 05 percent

(3) In national competitions organized by the Association of Indian Universities, organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India -

(a) To those who get first, second, third place in individual competition15 percent

(b) To the members of the team securing first, second or third place 12 percent

(c) to the contestant representing the area 10 percent

13.4 To the members of the selected and visiting group in the field of artScience/Cultural/Literary/under Youth or Science and Cultural Exchange Program between India and other nations 10 percent

13.5 Chhattisgarh Government M.P. In national competitions organized by recognized sports associations: -

(a) To the members representing the team of Chhattisgarh/M.P. 10 percent

(b) To the members who obtained first, second and third place in Chhattisgarh's team 12 percent

13.6 To the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents01 percent

13.7 Special Incentive:-

To promote NCC/sports in the interest of Chhattisgarh state and college, the best cadets of NCC at national level will participate in Olympiad/Asiad/sports competitions organized by Sports Authority of India at national and international level. Child students should be given direct admission in the classes for which they are eligible in the upcoming academic session without any ranking.

(1) Such certificates will be sent to Questionnaire, Sports and Youth Welfare, Government of Chhattisgarh.

(2) This facility will be available only to those candidates who have submitted their representation to the college within the prescribed time period. But to receive this type of facility second time, they will need to retrieve the achievement.

13.8 For admission in the first year, certificates of up to the last four academic sessions at school level will be considered for weightage. For admission in the first year of postgraduate or law, certificates of up to the last three academic sessions will be considered for weightage. Certificates of previous session will be valid for weightage for admission in second, third year of graduation and second year of post-graduation.

14 Faculty / Subject / Group Change :-

In the first year of graduation/post graduation, the rank of order for the students who take admission by changing the faculty/subject/group of the qualifying examination will be determined by deducting 5 percent from their marks, weightage will be given on the reduced marks. After taking admission once in the first year of graduation/post graduation in the college, change of faculty/subject/group during the current session is permitted by the college campus till 30th September or in case of delay in main examination result, from the last date of admission mentioned in clause 2.2. It will be given for 15 days only. This

permission will be given only to those students whose marks are equal to or more than the students who got admission in the original merit list of the concerned subject/faculty.

15. Research student:-

Research students of PhD in government colleges will be given admission for two years. In case the library/practical work remains incomplete, the principal will be able to extend this time period to a maximum of 4 years on the recommendation of the supervisor. Students will apply in the prescribed application form. Regular admission will be granted only after depositing the prescribed fee after admission. For research students, the recognized professor supervisor posted in the college for PhD direction by the concerned university will carry out his/her work only as per the rules laid down by the university. If a teacher is working as a research student after taking study leave, then the approval will be given by the competent authority. The salary of the teacher will be drawn by the salary drawing officer only after receiving the attendance certificate and work progression report for three months.

In case of transfer of the professor supervisor posted in the college, the research students can continue their research work in the institution from where their research applications were forwarded. After the completion of the research work, the management of the research work will be done and forwarded by the principals of the colleges. To be read and applicable along with the Research ordinance of the concerned university.

16. Note : -

16.1 Fake certificate: If an applicant has got admission due to wrong information, deliberately hidden adverse facts, administrative or official carelessness, then the full responsibility for cancellation of such admission will be on the applicant.

16.2 The Principal will have the right to cancel the admission of a student who remains absent continuously for one month or more without any proper reason, prior permission or information after taking admission.

16.3 After admission, during the session, the Principal will have the right to cancel the admission or expel the student involved in the cases of indiscipline mentioned in paragraphs 9.2 and 9.3.

16.4 In case the student leaves the college during the session after admission or his admission is canceled or expelled, no fee other than the reserved fund will be refunded to the student.

16.5 If there is a need for clarification of the guiding principles of admission or guidance in any matter related to admission, the Principal will compulsorily give clear comments and opinions in the matter and obtain clarification/guidance from the Commissioner of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. No matter should not be sent only by writing forward.

16.6 The authority to interpret the provisions mentioned in these guiding principles rests with the Commissioner, Higher Education Department. Chhattisgarh Government Higher Education Department, Ministry will have the full right to change/amend/repeal/add these guiding principles from time to time.

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2023–24

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2023–24

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रवेश

प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जावेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वी कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं मे बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों मे उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह मे निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा मे आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा मे प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय मे प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद मे अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***14 अगस्त*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने मे एफ.आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमे मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में

संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे मे बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ मे स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियाँ एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयो की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी. एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियो को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि संकाय नियमित प्रवेश :–**

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, <u>अन्य पिछड़ा वर्ग 42%</u> होगी। तथा विधि

स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति / अनूसूचित जाति / ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमो मे प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाए माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओ से डिग्री / डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) मे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय

व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमे स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों मे दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना मे समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के

- आवेदको द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :–

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में** आगामी वर्ष/वर्षों में **पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ

दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय मे तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–05/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी;

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

टीप :– **अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 13–1/2023/आ.प्रा./1–3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरुप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।**

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :-**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-**

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 **शोध छात्र :-**

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जावेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों मे लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति मे विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर से प्राप्त करेंगे. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों मे उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों मे समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

Chhattisgarh Government

Higher Education Department

Admission Guidelines for Educational

Institutions of Chhattisgarh for the session 2023-24

Guiding Principles for Admission in Undergraduate and Postgraduate Classes Session 2023-24

Usage -

1.1 These guiding principles will be applicable in all the government/non-government colleges of Chhattisgarh, read with the provisions of Ordinance No. 6 and 7 under the Chhattisgarh University Act 1973 and the concerned Principal will ensure their compliance.

Government and non-government colleges will have to strictly follow the rules of admission. Admission means the first year of graduation class or first semester or first semester of post graduation class.

Date of admission

Application submission of admission-

This year, online work will be done for admission at the university level. All the forms submitted for the colleges will be sent to that college. Entry will be provided on the basis of the rules of admission guidelines received from the Principal, Government, out of the applications received online,

(a) If due to unavoidable reasons the application has to be submitted 'offline, then the application prescribed by the Principal for admission in the college will be submitted by the applicant to the college along with all the admit cards by the scheduled date.

(4) In case the Board/University is not providing mark sheet for admission, the letter papers can be submitted without mark sheet after getting certified by the concerned Principal of the previous institution.

2.2 Setting the last date for admission:-

Except in case of transfer, the Principal will be able to grant admission from 16th June to 31st July on his own and with the permission of the Vice Chancellor 1 14th August. (Date of admission in the graduation year is from 16th June and for other classes from 10th June to 15th July. Within 10 days of declaration of examination results) As per the instructions given by the government from time to time by the

state the process will be done. In case of delayed declaration of examination results, the admission work will be completed within 10 days after the declaration of examination results. On transfer of the employees mentioned in paragraph 51 (a), their sons and daughters seeking admission after the last date of admission should be given admission during the night only if the place is vacant, but for this the employee will have to submit the joining form and Admission will be granted only if the applicant gets admission in another college before the last date fixed for admission

Explanation:

Applicant A had taken admission in a class in a college at some other place (5) at the time of his death. After that his guardian got transferred to some college of this place (B), now this state wants to take him. He will be given admission only if there is vacant space. Applicant "B" did not take admission in any college in place (A) where his parents were working, but wants to take admission in any college in place (4) as soon as his parents are transferred to place (B), hence. Now applicant (8) cannot be given admission after the last date fixed for admission has passed

2.2 Fixing the last date of admission for the students who have passed the revaluation/recalculation Students who have passed the revaluation and recalculation of the students of schools other than the Faculty of Law. Within 15 days of the declaration of the results of revaluation/recalculation, the state will be eligible after the calculation is done after the permission of the Vice Chancellor of the concerned university. But even if there is eligibility in the state on the basis of merit in the classes of Law Faculty. Admission will be given only if there is a vacancy in the college. Students who have passed re-recalculation in class 12th will also be eligible for regular admission if seats remain vacant.

3 Determination of admission number

3.1 Students will be given admission for various classes only within the sanctioned student number (seats) based on the seating arrangement available in the classrooms and classrooms in the colleges. the equipment/usable materials

available in the laboratory and the capacity of the staff etc. If students want to increase the number of seats for admission in private colleges, then they should send their proposal to the Directorate of Higher Education by 30th April and move to the state according to the increased seats only after getting permission from the Directorate of Higher Education/Higher Education Department.

3.2 According to the guidelines set by the Bar Council of II Law Bachelor 1st, 2nd 3rd Year and 5 year Course for BALLB, only a maximum of 60 students should be given admission per section (minimum 2 sections and maximum 5 sections) on the basis of state merit.

3.3 The teaching subject/subject group has been decided for each class by the affiliated university/autonomous college. Principals will give admission to the applicants of each class in their colleges as per the prescribed admission number in the same prescribed subject/subject

Admission List -

4.1 The Principal has informed about the last date fixed for depositing the admission fee and the marks obtained in the qualifying examination of the students selected for admission where weightage is applicable. After giving weightage the ranking list of total marks obtained along with percentage marks will be put on the notice board.

4.2 Permission to deposit the state fee will be given only after the copies of necessary attached certificates are certified by the State Committee by comparing them with the original certificates and the original copy of the transfer certificate is submitted. Immediately after giving the state, admission was given on the transfer certificate that it should be canceled by stamping it.

4.3 Admission in the college will be valid only after depositing the prescribed fee. After the state, the original copy of the transfer certificate should be compulsorily canceled by putting the seal of cancellation.

4.4 In case of vacancy after the last date of fee submission in the declared state list late fee of Rs 100/-will be charged additionally for admission in all the classes as per rules, however in such cases the state did not give permission after 14th August.

4.5 Admission should not be granted on the basis of duplicate transfer certificate. In case of loss of transfer certificate, an FIR should be lodged by the student in the nearest police station. Police station report and authorized report from the pre-admission institution in which the serial number and date of the original transfer certificate is mentioned. Admission can be given only subject to receipt. For this, an undertaking should be taken from the student.

4.6 Along with issuing the transfer certificate, the Principal of the college will issue a confidential report regarding the student whether the concerned student has indulged in ragging/indiscipline/vandalism etc. Such confidential report will be sent in a sealed envelope to the Principal of the college where the student has applied for the state.

4.7 The state government has provided exemption from tuition fees to graduate/postgraduate level girl students studying in government colleges. Therefore, the above instructions should be followed.

5. Eligibility for admission

5.1 Resident and Qualifying Examination

(a) Original/permanent residents of Chhattisgarh, permanent property holders in Chhattisgarh/state, government employees of Central Government, economic employees and employees of private limited companies, employees of nationalized banks and business organizations run by the Government of India whose posting is in Chhattisgarh. Only sons/daughters and displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents will be given admission in government colleges. Even after giving admission as above, if there is vacancy in the seats, applicants who have passed the recognized board and qualifying examination of other states can be given admission on the basis of merit as per rules.

(b) Only those applicants who have passed the qualifying examination from the affiliated university or from the university/board recognized by the affiliated university will be eligible for admission in the college.

(c) Only after obtaining eligibility certificate from the concerned university as per requirement. The applicant should be granted admission.

5.2 Graduate level regular admission

(a) Applicants who have passed 10+2 examination will be eligible for regular admission in the first year of graduation. But applicants from Commerce and Arts faculty will not be given admission in Science faculty. Any girl student who has passed B.Sc. (Home Science) first year from any school will be eligible for admission. Students who have passed 12th from professional course will only be eligible for admission in Arts Faculty. But if the candidate has studied the subjects of Commerce Faculty then he will be eligible for admission in Commerce Faculty. Similarly, applicants who have passed 10+2 examination from Agriculture stream are eligible for B.Sc. or B.Sc. (Bio/Mathematics Group) State will not be given in the first year. Such confidential report will be sent in a sealed envelope to the Principal of the college where the student has applied for the state.

(b) The state government has provided exemption from tuition fees to graduate/postgraduate level girl students studying in government colleges. Therefore, the above instructions should be followed.

5.3 **Post Graduate Level Regular Admission:-**

(a) B. Com./B.Sc.(Home Science)/B.A. Applicants who have passed graduation examination can get M.Com/M.Sc. respectively. Applicants who have passed B.Sc. (Home Science)/M.A. Pre/1st Sem and qualifying subjects are eligible for M.S.C/M.A. The former will be eligible for regular admission. Only those students who have studied will be eligible for regular admission for 1st sem/ pre geography. A part from the above only the provision/ qualification mentioned in the relevant ordinance concerned university will be binding in the case of faculty regarding the qualification.

(b) Applicants who have passed postgraduate first year/first semester will be eligible for regular admission in postgraduate second year of the same subject. Under the semester system, applicants who pass the pre-qualifying examination will be eligible for regular admission in the next semester.

(c) ATKT for postgraduate classes. (Allowed To Keep firms) Rules :-

1. Applicants who are eligible for provisional admission in the first semester of post-graduate. It is mandatory to take provisional admission before the last date fixed for admission.

2 ATKT in Post Graduate Third Semester As per the (Allowed To Keep Terms) rules, eligible applicants will be eligible for provisional admission in the next semester.

5.4 Law Faculty Regular Admission :-

(a) Applicants who have passed the graduation examination will be eligible for regular admission in the first year of Bachelor of Laws.

(b) Applicants who have passed the Bachelor of Law examination will be eligible for L.L.M. Regular admission in first year will be eligible.

(c) L.L.B. First Semester and L.L.M. Applicants who have passed the first semester examination are eligible for L.L.B. Second Semester and L.L.M. Will be eligible for admission in second semester. Similarly, the same process of admission will be applicable in third, fourth and fifth semester also.

5.5 Minimum marks limit in the qualifying examination for admission:-

(a) The minimum marks limit for admission in the first year of Bachelor of Laws will be 45% (40% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste, 42 % for OBC). And applicants who have obtained 55% marks (50% for Scheduled Tribe/Scheduled Caste/OBC) in the first half of Post Graduation in Law.

5.6 The provisions of the concerned institution will be effective on admission/operation in courses approved by AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA

6.**Equivalent Examination :-**

6.1 10+2 examinations of Central Board of Secondary Education (C.B.S.E.), Indian Council for Secondary Education (ICSE) and schools/intermediate boards of other states are considered equivalent to 1042 examinations of the Board of Secondary Education. Principals can get the list of recognized boards from the affiliated universities.

6.2 Generally, all the examinations of the universities located in India which are members of Indian Universities (Association of Universities) are valid equivalent to the examinations of the University of Chhattisgarh, Universities (except IGNOU) which offer distance courses. But the examinations which have not received permission from the state government are not valid. As per the instructions of the University Grants Commission, New Delhi, any university or educational institution outside the state of Chhattisgarh is not allowed to open study centers/off camps etc. in the state of Chhattisgarh and give admission/degree to the students and the degree/diploma in such institutions is not legal and will not be formally valid.

6.3. Get the list of educational institutions of the university recognized by the affiliated university and the information issued from time to time by the University Grants Commission about the indebted or unrecognized universities or educational institutions whose degrees are not valid, from the principal of the affiliated university.

6.4 Applicants passed under NVEQF (National Vocational Educational Qualification Framework) started in 2012 should be given equal priority compared to other general subjects for admission to undergraduate level courses in universities and colleges.

According to the University Grants Commission's semi-government letter number 1-52/2013 (CC/NSQF) April, 2014-

"As you are aware, the National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) has been amended by the Ministry of Human Resource Development in the National Skill Qualification Framework (NSQF) notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. It has incorporated all the important features formulated in NSQF. As notified in NSQF, it offers certificates from Level 1 to 10, including Level 5 to Level 10 certificates from higher education and Certificates from Level 1 to Level 4 relate to the field of school education. Pursuant to the NVEQF, which was launched in 2012, courses were offered to students by some school boards and under the NVEQF, students were awarded certificates. These students will be able to complete 10+2 education with certified marks by the year 2014. The Ministry of Human Resource Development,

Government of India has expressed apprehension that students who wish to take admission in any undergraduate course in universities and colleges and who had vocational subjects at 12 level will be at a disadvantage. Therefore, I request you that when students are trying to get admission in any other undergraduate courses in the university and college, then such subjects should be given equal priority compared to other general subjects, so that those students to provide opportunities for horizontal mobility."

7. Admission of external applicants:-

7.1 Graduate students B.A./B.Com./B.Sc./B.H.S.-C. With the implementation of integrated curriculum in Chhattisgarh, applicants who have passed the first/second year examination from any university/autonomous college of Chhattisgarh are eligible for admission in the second/third year respectively, but the applicants who have studied in the subjects/groups of subjects being taught in the affiliated university/autonomous college. Regular admission should be given only after checking whether the candidate has appeared in the previous examination. If necessary, eligibility certificate must be obtained from the university.

7.2 Applicants who have passed 1st/2nd graduation level examination from universities/autonomous colleges located outside Chhattisgarh, pre-post graduation examination from other universities/autonomous colleges or 1st, 2nd, 3rd semester examination and 1st/2nd year graduation level examination of law affiliated to them. Regular admission should be given in the next class of the same subjects/subject group only after submitting the eligibility certificate from the universities.

Students from outside the state will have to give an affidavit in the prescribed format. If any kind of false/incorrect information is found, the admission of the concerned student will be canceled and he will be denied admission in any university of the state. It is mandatory to get the documents submitted by applicants from other states certified by the concerned Board/University. It is mandatory to get the documents submitted by the applicants certified by the concerned board/ university.

7.3 Private applicants in Science and other practical subjects, in case of vacancy and Former students of the college can be given permission by the Principal to do only practical work by paying the prescribed fee till 30th November.

8. It will be mandatory for the students who are eligible for temporary admission to take temporary admission before the last date fixed for admission.

8.1 Regular applicants who have passed the supplementary examination (compartment) in the first or second year examination at the post graduate level will be eligible for provisional admission in the event of vacancy in the next class.

8.2 Supplementary/ATKT candidates in 1st/2nd/3rd Post Graduate Semester will be eligible for provisional admission in the next class.

8.3 Bachelor of Laws Miscellaneous Courses LI B. Applicants who do not complete the prescribed aggregate of 80 percent in the first and second year of B.Sc. or get supplementary marks will be eligible for provisional admission in the next class.

8.4 Applicants of Section 1 and 2 of the above paragraph7 will not be eligible for temporary admission.

8.5 If students fail in the supplementary examination, their temporary admission will automatically be cancelled. On passing, temporary admission will be recognized as regular admission.

9 Qualifications for Admission:-

9.1 In case of getting admission in any faculty of any college/university teaching department, students will not be eligible for regular admission again in the same class of the same faculty in the next year. If any student has not taken regular admission in the class applied for in the previous session, then such applicant will not be considered ineligible for regular admission, he will only have to produce the original transfer certificate and an affidavit certifying that he has not taken admission earlier. Admission will be given on that basis only as per rules.

9.2 Students against whom challan has been presented in the court or criminal cases are pending in the court with students/officers/employees in examination or in pre-session, the Principal is authorized to deny admission to students who have

serious allegations of misbehavior/ assault and who have not shown improvement even after warning.

9.3 The Principal is authorized to cancel/deny admission to students accused of vandalizing the college and destroying college property. The Principal should constitute a committee for this and get the investigation done and the admission should be canceled on the basis of an investigation report. Such students should not be given admission in any government /non- government college of Chhattisgarh state

9.4 **Age limit for admission-**

(a) By the Government Higher Education Department's letter number ERU 17-95/2017/38-2 dated 15.08.2021, age limit for all classes and courses has been abolished.

9.5 Full-time government/non-government serving employees will not be eligible for regular admission in the college which is taken during their daily working hours. If the applicant applies for admission in a college after the daily duty period, he will be given admission only after the applicant presents the no objection certificate from the employer.

9.6 Students having graduate degree in any faculty will not be eligible for regular admission in graduate courses in any other faculty.

10.1 If there are more applicants than the available places, admission will be done in the following order.

(a) Marks and percentage of qualifying examination for admission to undergraduate and postgraduate classes on the basis of total percentage marks obtained by adding weightage and

(b) There should be a provision for entrance examination in the affiliated university in the first year of law graduation.

10.2 Separate merit lists will be prepared for unreserved and reserved categories.

11. Priority for admission-

11.1 Merit list will be prepared on the basis of marks obtained in the Ego test on the basis of priority in undergraduate/post-graduate/law classes.

11.2 The basis of priority in the next graduate/post graduate classes will be in the order of regular / ex- regular students passed in the admission examination/ex-regular/previous session who have obtained supplementary in one subject.

11.3 Admission in the law stream for the next classes shall be first for the students who have passed the examination but students obtaining 48 aggregate shall be given preference, otherwise the order would be the same.

11.4 If there is no facility for study, they will be given admission on order basis. If seats remain vacant and they come in sequence, students from the entire state will be eligible for admission in the entire state.

11.5 But the above provision will not be applicable for autonomous colleges, a student who has passed the postgraduate examination of one subject can be given admission in the postgraduate class of another subject only if there is a vacancy in the college.

12 Reservation will be as per the reservation policy of Chhattisgarh Government as follows:-

12.1 Reservation of seats in admission in each academic session and its extension in any educational institution will be in the following manner, namely:

(a) Thirty-two percent of the annual permitted strength in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Tribes.

(b) Twelve percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Scheduled Castes.

(c) Fourteen percent of the annual permitted strength of seats in each branch of study or faculty will be reserved for Other Backward Classes. Provided that, where the seats reserved for Scheduled Tribes remain vacant on the closing date(s) due to non-availability of eligible students, the same shall be filled from among the eligible students from the Scheduled Castes and vice versa.

Provided further that notwithstanding the provisions specified in the foregoing proviso, where clause (a). If the seats reserved under (b) and (c) remain vacant on the closing dates, they will be filled from other eligible students.

12.2 (1) Under clauses (a), (b) and (c) of point A 12.1, as per sit availability vertical reservation will be followed, and

(2) The percentage of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women ex servicemen children of land-based freedom fighters or other special categories of persons shall be such as may be notified by the State Government from time to time for the purposes of this Act. And it will be within the vertical reservation, as the case may be, under clauses (a), (b) and (c) of point A 12.1.

12.3 3% seats will be reserved for sons, daughters, grandsons and granddaughters of freedom fighters. 5 percent seats will be reserved for disabled category applicants.

12.4 Out of the available seats in all classes, 30 percent seats will be reserved for girl students.

12.5 Due to securing more marks, a candidate of reserved category is kept in the merits list as per the rules in the unreserved category open competition. So the rules of reserved category will remain unaffected, but if such a student also belongs to any cadre like freedom fighter etc. then this seat of that cadre will be filled in that reserved category and the seats of the remaining cadre will be filled.

12.6 If the percentage of reserved space is less than 1/2 then the reserved space will not be available, if it falls between 1/2 per cent and 1 per cent then the number of reserved space will be one.

12.7 Jammu and Kashmir displaced people and their dependents should be given admission by increasing the eligibility criteria by 5 percent and 10 percent relaxation in minimum marks will be provided

12.8 Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.

12.9 The provisions of reservation shown in paragraph 12.1 will be subject to the decision of the Honorable High Court Bilaspur.

12.10 Persons of the third gender, in this regard, the Honorable Supreme Court has given the case number W.P. (C) In the decision dated 15.04.2014 passed in 400/2012 National Legal Services Authority against Government of India and others, it has been directed that "We direct the Center and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." should be strictly followed.

Note- Under Secretary, Chhattisgarh, Government, General Administration Department's letter no. F 13-1/2023/AP/1-3 Naya Raipur According to the reservation related provisions dated 03.05 2023, SLP of the Honorable Supreme Court, New Delhi. (c) Co. Will be subject to the final order of 19668/2022.

13 Weightage :-

Weightage will be given only for determining the ranking, it will not be used for attaining eligibility. Weightagewill be given only on the percentage of marks obtained in the qualifying examination. It is mandatory to attach all the certificates for weightage with the admission application form. The certificates brought/submitted later after the application form will not be considered for weightage, if more than one weightageis received, only the highest weightage will be given.

13.1 NCC/NSS/Scouts

The word Scouts should be read in the meaning of Scouts/Guides/Rangers/Rovers.

(a) NSS/NCC. "A" Certificate	02 percent
(b) Scouts who have passed NSS/NCC “B” Certificate and Second Step.	03 percent
(c) Scouts passing “C” Certificate or Third Step.	04 percent
(d) Students representing the group in the state	04 percent
(e) NCC under level directorate. Competition	05percent
(f) NCC/NSS of Chhattisgarh in the Republic Day Parade in New Delhi. To the student participating in cutting edge	05percent
(g) Governor Scouts	10percent

(h) President Scouts	10percent
(i) Best NCC Candidate of Chhattisgarh	10percent
(j) Cadets selected for NCC/NSS and migrating cadets participating in Youth Exchange Program between India and other countries. Students who have been selected for the International Jamboree.	15 percent

13.2Students who have passed honours curriculum subject course,Post Graduateon taking admission in the post graduate classes in the same subject. 10 percent

13.3 Sports/Literary/Cultural/Divas/Design Competitions -

(1) In district divisional level competitions organized by Directorate of Public Instruction or Chhattisgarh Higher Education Department or inter divisional/level competition organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan.03 percent

(a) Every member of the committee who got first, second or third place02 percent

(b) To the person securing the above position in the individual competition04 percent

(2) In the inter-regional national competition organized by the State level or Kendriya Vidyalaya Sangathan organized by the Department/Directorate mentioned in the above paragraph 13.3 (1) or by the Association of Indian Universities (AIU). In the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India or in the field competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India.

(a) Every member of the team who got first, second and third place 06 percent

(b) To the person who got the above position in the individual competition07 percent

(c) The contestant representing the division/area 05 percent

(3) In national competitions organized by the Association of Indian Universities, organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India -

(a) To those who get first, second, third place in individual competition15 percent

(b) To the members of the team securing first, second or third place 12 percent

(c) to the contestant representing the area 10 percent

13.4 To the members of the selected and visiting group in the field of artScience/Cultural/Literary/under Youth or Science and Cultural Exchange Program between India and other nations 10 percent

13.5 Chhattisgarh Government M.P. In national competitions organized by recognized sports associations: -

(a) To the members representing the team of Chhattisgarh/M.P. 10 percent

(b) To the members who obtained first, second and third place in Chhattisgarh's team 12 percent

13.6 To the displaced people of Jammu and Kashmir and their dependents01 percent

13.7 Special Incentive:-

To promote NCC/sports in the interest of Chhattisgarh state and college, the best cadets of NCC at national level will participate in Olympiad/Asiad/sports competitions organized by Sports Authority of India at national and international level. Child students should be given direct admission in the classes for which they are eligible in the upcoming academic session without any ranking.

(1) Such certificates will be sent to Questionnaire, Sports and Youth Welfare, Government of Chhattisgarh.

(2) This facility will be available only to those candidates who have submitted their representation to the college within the prescribed time period. But to receive this type of facility second time, they will need to retrieve the achievement.

13.8 For admission in the first year, certificates of up to the last four academic sessions at school level will be considered for weightage. For admission in the first year of postgraduate or law, certificates of up to the last three academic sessions

will be considered for weightage. Certificates of previous session will be valid for weightage for admission in second, third year of graduation and second year of post-graduation.

14Faculty / Subject / Group Change :-

In the first year of graduation/postgraduation, the rank of order for the students who take admission by changing the faculty/subject/group of the qualifying examination will be determined by deducting 5 percent from their marks, weightage will be given on the reduced marks. After taking admission once in the first year of graduation/postgraduation in the college, change of faculty/subject/group during the current session is permitted by the college campus till 30th September or in case of delay in main examination result, from the last date of admission mentioned in clause 2.2. It will be given for 15 days only. This permission will be given only to those students whose marks are equal to or more than the students who got admission in the original merit list of the concerned subject/faculty.

15. Research student:-

Research students of PhD in government colleges will be given admission for two years. In case the library/practical work remains incomplete, the principal will be able to extend this time period to a maximum of 4 years on the recommendation of the supervisor. Students will apply in the prescribed application form.Regular admission will be granted only after depositing the prescribed fee after admission. For research students, the recognized professor supervisor posted in the college for PhD direction by the concerned university will carry out his/her work only as per the rules laid down by the university. If a teacher is working as a research student after taking study leave, then the approval will be given by the competent authority.The salary of the teacher will be drawn by the salary drawing officer only after receiving the attendance certificate and work progression report for three months.

In case of transfer of the professor supervisor posted in the college, the research students can continue their research work in the institution from where their research applications was forwarded. After the completion of the research work, the management of the research work will be done and forwarded by the

principals of the colleges. The research ordinance of the concerned university shall be read and applicable with it.

16. Note : -

16.1 Fake certificate: If an applicant has got admission due to wrong information, deliberately hidden adverse facts, administrative or official carelessness, then the full responsibility for cancellation of such admission will be on the applicant.

16.2 The Principal will have the right to cancel the admission of a student who remains absent continuously for one month or more without any proper reason, prior permission or information after taking admission.

16.3 After admission, during the session, the Principal will have the right to cancel the admission or expel the student involved in the cases of indiscipline mentioned in paragraphs 9.2 and 9.3.

16.4 In case the student leaves the college during the session after admission or his admission is canceled or expelled, no fee other than the reserved fund will be refunded to the student.

16.5 If there is a need for clarification of the guiding principles of admission or guidance in any matter related to admission, the Principal will compulsorily give clear comments and opinions in the matter and obtain clarification/guidance from the Commissioner of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. No matter should not be sent only by writing forward.

16.6 The authority to interpret the provisions mentioned in these guiding principles rests with the Commissioner, Higher Education Department. Chhattisgarh Government. Higher Education Department, Ministry will have the full right to change/amend/repeal/add these guiding principles from time to time.